राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] चौदहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का चौदहवां दिवस [संख्या: 09

बुधवार,
08 मार्च 2017

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

बधाई एवं आभार

वसुन्धरा राजे, श्रीमती, मुख्य मंत्री को जन्म दिवस पर बधाई

श्री अध्यक्ष: आज नमस्कार इधर से। नमस्कार, नमस्कार। मुख्य मंत्रीजी, आज आपका जन्मदिन है। मेरी ओर से और सारे सदन की ओर से आपको लख-लख बधाइयां।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): मेरी तरफ से भी पूरे सदन को थैंक यू।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं भी हमारे प्रतिपक्ष की तरफ से माननीया मुख्य मंत्रीजी और सदन की नेताजी को जन्मदिन पर बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए परमपिता परमेश्वर से यह कामना करता हूं कि आप दीर्घायु हों, आप स्वस्थ रहो और प्रदेश की जनता के लिए बहुत ही भले के काम करते रहो।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): थैंक यू जी, थैंक यू वैरी मच।

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं, अब नहीं। नहीं। श्रीमती वसुन्धरा राजे, आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-2018 का उपस्थापन करेंगी।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-18 का उपस्थापन

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रही हूं।

2. हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला यह बजट न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि प्रदेश के विगत तीन वर्षों की विकास यात्रा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हमारी सरकार के सतत प्रयास से और प्रदेशवासियों के स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद से प्रदेश के विकास को एक नई दिशा मिली है, एक नई गति मिली है।

3. प्रदेश के सुनियोजित और समग्र विकास की आधारशिला के रूप में दिसम्बर, 2013 में प्रस्तुत किये गये vision 2020 को आधार मानते हुए प्रदेश निरन्तर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। विरासत में मिली चरमराई अर्थव्यवस्था, अकुशल वित्तीय प्रबन्धन के कारण प्रगति का यह सफर अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहा है और आगे भी रहेगा लेकिन जैसा मैंने पहले कहा है और आज फिर दोहराती हूं प्रदेश के विकास के लिए हमें हर प्रकार की चुनौती मंजूर है और हमारी सरकार प्रदेशवासियों के विश्वास की पूंजी से ऐसी प्रत्येक चुनौती का सामना करने को तैयार है। मैंने पूर्व में इस सदन को विस्तार से अवगत कराया है कि किन विषम आर्थिक स्थितियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद हमने प्रदेश के विकास में कोई अवरोध, कोई अड़चन नहीं आने दी। इसका परिणाम आप सभी के सामने है।

4. पिछले तीन वर्षों में अनेक पुरस्कार और सम्मान प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। कौशल विकास में लगातार दो वर्षों से सर्वश्रेष्ठ कौशल प्रदाता राज्य के रूप में गोल्ड ट्राफी प्राप्त हुई हैं। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कांफ्रेंस में ई-गवर्नेंस का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, भामाशाह परियोजना को Skoch Order-of-Merit पुरस्कार, राजधारा (GIS) को ESRI Award, LED लाइट लगाने में उत्कृष्ट कार्य करने पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, दिव्यांग व्यक्तियों को सर्वाधिक ऋण देने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति विकास सहकारी निगम को भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया, भारत सरकार से कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ। "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना" में झुंझुनूं जिले को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सम्मानित किया गया और प्रदेश को सराहनीय कार्यों के लिए ऐसे अन्य सम्मान व पुरस्कार मिले हैं।

5. इन कार्यों की सराहना न केवल प्रदेशवासियों ने की है, बल्कि देश-विदेश से आये अधिकारियों, उद्योगपति एवं राजनयिकों ने भी की है। यह निश्चित तौर से टीम राजस्थान के लिए उत्साहवर्द्धक है परन्तु हमें इन उपलब्धियों को और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, और प्रदेश के चहुंमुखी और समग्र विकास के लिए सच्ची लगन, निष्ठा और पूरी ईमानदारी से और अधिक परिश्रम करना है जिससे कि हमारी विकास योजनाओं का भरपूर लाभ समाज का प्रत्येक वर्ग उठा सके।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

6. Vision 2020 के तहत प्रदेश के विकास की हमारी परिकल्पना के तीन प्रमुख आधार स्तम्भ हैं। पहला, निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ आर्थिक विकास में तेजी लाना और दूसरा, रोजगार के नये अवसरों का सृजन करना, सुशासन कायम रखना, जिसके अन्तर्गत न केवल जन अभाव अभियोग का निराकरण करना निहित है, बल्कि जिसके अन्तर्गत Ease of doing Business, Government Service Delivery की सुगमता और साथ में बदलते समय के अनुसार नीतिगत सुधार के साथ-साथ आधुनिक एवं प्रासंगिक नीति निर्धारण शामिल है। हमारा तीसरा आधार स्तम्भ है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जिसके अन्तर्गत सामाजिक समरसता कायम रखने के लिए, साथ-साथ बेहतर चिकित्सा व्यवस्था प्रदान करना, Gender Equality को प्रोत्साहित करना और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना शामिल है। संक्षिप्त में जहां एक ओर आर्थिक आधारभूत संरचना जैसे बिजली, पानी, सड़क को सुदृढ़ करना हमारी प्राथमिकता है, वहीं सामाजिक आधारभूत संरचना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और रोजगार के नये अवसर सृजित करना, राजस्थान को आकर्षक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार- कृषि एवं पशुपालन को मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ आपदा प्रबन्धन भी उतना ही आवश्यक है। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है ताकि हम "खुशहाल राजस्थान, खुशहाल राजस्थानी" की अवधारणा को साकार कर सकें।

7. हमारी यह सोच रही है कि प्रदेश में सभी महत्वपूर्ण सैक्टर्स में प्राथमिकताओं का निर्धारण उन क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकताओं के आकलन के पश्चात् करना चाहिए। हमने पेयजल, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, जल संरक्षण, ऊर्जा, ग्रामीण व शहरी विकास, सामाजिक उत्थान, खाद्य सुरक्षा तथा निवेश के क्षेत्रों में गत तीन वर्षों में "समग्र विकास, बस यही प्रयास" को अपनाकर प्रत्येक सैक्टर के लिए अलग-अलग पहल व नवाचार प्रारम्भ किये हैं, जिनके बेहद उत्साहवर्द्धक परिणाम सामने आये हैं।

8. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017-18 के राज्य बजट के प्रस्तुतीकरण में भी दो प्रमुख नवाचार समाहित किये गये हैं।

9. पहला, बजट में plan तथा non-plan व्यय के वर्गीकरण को समाप्त किया गया है। बजट में plan व्यय को developmental expenditure तथा non-plan व्यय को non-developmental expenditure के रूप में माना जाता रहा है, इस कारण सम्पत्तियों के रख-रखाव हेतु प्राय: समुचित प्रावधान नहीं हो पाता था तथा बजट में

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

प्लान व्यय के लिए अधिकतम प्रावधान रखने का प्रयास किया जाता था। हमने व्यय के इस कृत्रिम वर्गीकरण को समाप्त करने हेतु केन्द्र सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठाया था। केन्द्र सरकार द्वारा भी वर्ष 2017-18 के केन्द्रीय बजट में plan तथा non-plan व्यय के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है। बजट में किये गये इस नवीन सुधार से व्यय का समग्र दृष्टि से प्रावधान तथा संसाधनों का श्रेष्ठ एवं यथोचित उपयोग किया जा सकेगा।

10. दूसरा, "less-paper" बजट प्रस्तुतीकरण की दिशा में अग्रसर होते हुए हमने बजट मुद्रण को कम करने का प्रयास किया है। वर्ष 2017-18 के राज्य बजट से संबंधित केवल बजट खण्ड-1, बजट संबंधी सारगर्भित विवरण, budget study तथा budget at a glance को ही पूर्व वर्षों के अनुसार प्रिंट करवाया गया है। शेष बजट खण्ड, जो बल्की होते हैं, की कुछ प्रतियां रिकार्ड के लिए प्रिंट करायी गयी हैं। माननीय विधायकों तथा माननीय सांसदों को यह बजट CD और Pen Drive में अब उपलब्ध कराये जा रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक और प्रगतिशील कदम में सहयोग के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय को भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

11. सुशासन के संकल्प से समृद्धि के शिखर की ओर राजस्थान को ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए हमने नवीन योजनाओं और नवाचार के साथ-साथ अब तक के कार्यों को consolidate करते हुए, उनको और अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया है, जिससे प्रदेश के सभी नागरिकों को समुचित सुविधाएं मिल सकें एवं उनके जीवन स्तर में perceptible सुधार नजर आये।

आर्थिक आधारभूत ढांचा

सड़क:

12. हमारी सरकार ने गत तीन वर्षों में सड़क के क्षेत्र में 20 हजार 822 करोड़ रुपये का व्यय कर 4 हजार 281 गांव-ढाणियों व मजरों को सड़क से जोड़ा है, जबकि गत सरकार ने तीन वर्ष में मात्र 9 हजार 157 करोड़ रुपये का व्यय कर केवल 661 गांव, ढाणी और मजरों को सड़क से जोड़ा था।

13. हमने गत तीन वर्ष में 15 हजार 278 किलोमीटर लम्बाई की नवीन सड़कों का निर्माण, 4 हजार 637 करोड़ रुपये का व्यय कर सुनिश्चित किया है, जो कि गत सरकार के पांच वर्ष में हुए 12 हजार 554 किलोमीटर लम्बाई तथा उस पर हुए 2 हजार 993 करोड़ रुपये के व्यय से भी अधिक है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

14. राज्य के ग्रामीण सड़क तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु "ग्रामीण गौरव पथ" योजना के प्रथम चरण में 1972 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर नाली सहित ग्रामीण गौरव पथों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। द्वितीय चरण के तहत 2086 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में 1253 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण गौरवपथ निर्माण के कार्य प्रारंभ किये गये हैं जिन्हें आगामी वर्ष तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

15. मिसिंग लिंक योजना के प्रथम चरण में 2246 किलोमीटर लंबाई की मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण चालू वर्ष के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा। द्वितीय चरण में एक हजार 820 किलोमीटर लंबाई की 808 मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कार्य भी आगामी वर्षों में पूर्ण कर लिया जाएगा।

16. राज्य के 9 हजार 894 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में से 5 हजार 907 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण गौरवपथ अथवा मिसिंग लिंक के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। शेष रहे 3987 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में आगामी दो वर्षों में ग्रामीण गौरवपथ अथवा मिसिंग लिंक के निर्माण कार्य करवाए जाएंगे और आगामी वर्ष में 2 हजार ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 1,200 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण गौरवपथ अथवा मिसिंग लिंक के निर्माण कार्य करवाए जाएंगे।

17. नाबार्ड योजना RIDF-22 के तहत इस वर्ष 825 करोड़ रुपये के पांच हजार किलोमीटर से अधिक की लंबाई के 1,518 कार्य प्रारंभ किये गये हैं, जो आगामी वर्ष के अंत तक पूर्ण कर लिये जाएंगे। RIDF-23 के तहत आगामी वर्ष में 800 करोड़ रुपये की लागत से पांच हजार किलोमीटर से अधिक की लंबाई की ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण के कार्य प्रारंभ किये जायेंगे।

18. राज्य राजमार्गों को विकसित किये जाने की दिशा में 1580 करोड़ रुपये की लागत से 796 किलोमीटर लंबाई की निम्न 15 परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ किया जाएगा:-

- चौमूं-चंदवाजी – लंबाई 15 किलोमीटर
- हनुमानगढ़-अबोहर – लंबाई 43 किलोमीटर
- देवली-कनवास – लंबाई 15 किलोमीटर
- आलोट-गंगधार-सुवासरा – लंबाई 25 किलोमीटर
- खेड़ली-पहाड़ी – लंबाई 61 किलोमीटर
- बाड़मेर-सिन्दरी-जालौर – लंबाई 148 किलोमीटर
- सांडेराव-मुंडारा सैक्शन – लंबाई 29 किलोमीटर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

- पीलीबंगा-लखुवाली – लंबाई 35 किलोमीटर
- सरदारशहर-लूणकरणसर – लंबाई 76 किलोमीटर
- चूरू-भालेरी – लंबाई 35 किलोमीटर
- सांजू-तरनाऊ – लंबाई 17 किलोमीटर
- रूपनगढ़-नरैना – लंबाई 35 किलोमीटर
- नागौर-जायल-डीडवाना-सालासर-लक्ष्मणगढ़-मुकुंदगढ़ – लंबाई 196 किलोमीटर
- अजीतगढ़-चला – लंबाई 33 किलोमीटर
- सिंघाना-बुहाना-हरियाणा सीमा तक – लंबाई 33 किलोमीटर

19. साथ ही- 441 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 402 किलोमीटर लंबाई की निम्न 19 सड़कों को विकसित किये जाने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा:-

- नोहर-पल्लू – लंबाई 67 किलोमीटर
- जसराना-बौंली-निवाई – लंबाई 13 किलोमीटर
- डूंगरपुर-बिच्छीवाड़ा – लंबाई 17 किलोमीटर
- सीकर-हर्ष पर्वत – लंबाई 15 किलोमीटर
- आबू रोड़-अम्बाजी – लंबाई 14 किलोमीटर
- प्रतापगढ़-अरनोद-राज्य सीमा तक – लंबाई 24 किलोमीटर
- सांचोर-रानीवाड़ा-रेवदर-आबूरोड़ – लंबाई 26 किलोमीटर
- बेनाड़-भोपालगढ़ – लंबाई 10 किलोमीटर
- दौतलपुरा-लोसल – लंबाई 23 किलोमीटर
- मांगरोल-सीसवाली-अंता-सांगोद – लंबाई 14 किलोमीटर
- बारां-नाहरगढ़ – लंबाई 18 किलोमीटर
- दौसा-कुंडल-बांदीकुई – लंबाई 12 किलोमीटर
- धौलपुर-राजाखेड़ा – लंबाई 32 किलोमीटर
- बस्सी-तूंगा-लालसोट – लंबाई 41 किलोमीटर
- छबड़ा-कुंभराज – लंबाई 28 किलोमीटर
- कनोल-माल्याखेड़ा – लंबाई 7 किलोमीटर
- तिड़ोकी बड़ी-गाड़ोदा-मिरन-पाटोदा – लंबाई 16 किलोमीटर
- खेतड़ी-सिंघाना- लंबाई 13 किलोमीटर और
- लसाड़िया-धरियावाद – लंबाई 12 किलोमीटर।

20. राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम के माध्यम से 410 किलोमीटर लंबाई की निम्न 8 सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा:-

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

- बूंदी-बिजोलिया – लंबाई 50 किलोमीटर
- ब्यावर-गुलाबपुरा – लंबाई 42 किलोमीटर
- सीकर-झुंझुनूं-लुहारू – लंबाई 92 किलोमीटर
- डिग्गी-सोयला – लंबाई 31 किलोमीटर
- भदेसर-चौराहा-कनोज-सावा-शंभुपुरा-गिलूंड-घटियावाली-एनएच-76तक – लंबाई 35 किलोमीटर
- बाली-पिंडवाड़ा – लंबाई 55 किलोमीटर
- उदयपुर-सलूम्बर – लंबाई 65 किलोमीटर
- बोरावड़-खाटू – लंबाई 40 किलोमीटर

21. NCRPB से ऋण प्राप्त कर अलवर जिले में 968 करोड़ रुपये की लागत से 600 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों का विकास कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

22. राज्य के 13 जिलों में खनिज महत्व की 220 किलोमीटर लंबाई की 26 सड़कों का विकास 242 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जाएगा। जिनमें से कुछ प्रमुख सड़कें निम्नानुसार हैं:-

- आमेट-केलवा – लंबाई 18 किलोमीटर
- सरदारगढ़-आमेट – लंबाई 40 किलोमीटर
- टोडारायसिंह-बोटूंदा – लंबाई 20 किलोमीटर
- मासलपुर-जगनेर वाया बसेड़ी – लंबाई 15 किलोमीटर

23. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – प्रथम के अन्तर्गत 1,480 बसावटों को सड़कों से जोड़ने के कार्य प्रगति पर हैं जिन्हें आगामी वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा। इस योजना के प्रथम चरण की सभी eligibility criteria पूर्ण कर प्रदेश अब द्वितीय चरण के लिए पात्र हो गया है। सड़कों के उन्नयन व रखरखाव की योजना के द्वितीय चरण में आगामी वर्ष में 3465 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़कों के उन्नयन व रखरखाव के कार्य प्रारंभ करवाए जाएंगे।

24. इसके अतिरिक्त सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार लगभग एक हजार किलोमीटर लंबाई के राज्य राजमार्गों एवं अन्य सड़कों के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण का कार्य करवाया जाएगा जिस पर आगामी वर्ष में पांच सौ करोड़ रुपये का व्यय संभावित है।

25. केकड़ी कस्बे के अन्दर से नसीराबाद-देवली-स्टेट हाइवे गुजर रहा है। इस मुख्य सड़क पर विद्यालय एवं महाविद्यालय स्थित है तथा विद्यार्थियों के साथ दुर्घटना की

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

संभावना बनी रहती है। इस समस्या के समाधान के लिए 17 किलोमीटर लंबाई के केकड़ी बाई पास का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया जाएगा।

26. जोधपुर जिले की बाप तहसील के भड़ला में सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। आवागमन की सुविधा हेतु 38 करोड़ रुपये की लागत से 45 किलोमीटर लंबाई की बाप से कानासर तक double lane सड़क का निर्माण किये जाने की घोषणा करती हूं।

27. इसके अलावा शहरी क्षेत्र की सड़कों का विकास कार्य तीस करोड़ रुपये की लागत से करवाया जाएगा।

28. सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए आगामी वर्ष में 6,657 करोड़ 32 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 58.47 प्रतिशत अधिक है।

यहां सिर्फ यह कहना चाहूंगी कि- "जिस दिन से चली हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा।"

हवाई परिवहन:

29. राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए VGF के आधार पर Intra-State हवाई सेवा योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना के तहत जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर को जयपुर से जोड़ा गया है। शीघ्र ही कोटा, अजमेर और रणथम्भौर (सवाईमाधोपुर) को भी जयपुर के साथ हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा।

30. केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण regional connectivity scheme के तहत जयपुर को सीधे जैसलमेर व आगरा से तथा बीकानेर को सीधे नई दिल्ली से हवाई सेवाओं से जोड़ने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार VGF दिया जाएगा और अन्य आधारभूत सुविधाएं यथा ATF पर VAT में कमी और एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाएगी।

31. आगामी वर्ष में हवाई पट्टियों के रेनोवेशन और मरम्मत कार्य के लिए 16 करोड़ 54 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

परिवहन:

32. सिंधी कैम्प बस अड्डे के विकास एवं multi modal बनाने का कार्य RSRDC द्वारा किया जा रहा था, जिस पर 6 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय किया गया था। आम

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)
जनता को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए सिंधी कैम्प बस अड्डे के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाया जाएगा।

पेयजल:

33. प्रदेश की कुल 1 लाख 21 हजार 648 गांव ढाणियों में से अब तक 55,025 गांव ढाणियों को मार्च, 2016 तक पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है। शेष समस्याग्रस्त गांव ढाणियों में से 625 गांव ढाणियों को नवम्बर, 2016 तक लाभान्वित किया जा चुका है एवं इस वित्तीय वर्ष के अंत तक कुल 2039 गांव ढाणियों को लाभान्वित किया जाएगा। इसी क्रम में आगामी वित्तीय वर्ष में भी 2,500 गांव ढाणियों को शुद्ध पेयजल से लाभान्वित किया जाएगा।

34. इस संबंध में सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि शहरी एवं ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं पर गत सरकार द्वारा प्रथम तीन वर्षों में 6097 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था। हमारी सरकार द्वारा प्रथम तीन वर्षों में 13,473 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है जो कि दुगुने से भी अधिक है।

35. गत सरकार द्वारा संसाधनों के समुचित प्रबंध के बिना भारी लागत की major पेयजल परियोजनाओं की घोषणा की गयी थी। ऐसी 67 major पेयजल परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण करने हेतु हमने समय-समय पर विस्तृत समीक्षा की है। हमने गत तीन वर्षों में पूर्व की स्वीकृत 37 major पेयजल परियोजनाओं को पूर्ण करने की घोषणा की थी। इनमें से 32 परियोजनाएं पूर्ण कर ली गयी हैं, शेष पांच परियोजनाएं अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर ली जाएंगी।

इसी क्रम में 5292 करोड़ रुपये की लागत से ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: डोटासराजी शांत रहिए, डोटासराजी शांत रहिए।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): 5 हजार 292 करोड़ रुपये की लागत की निम्न 9 लंबित major पेयजल परियोजनाओं को वर्ष 2017-18 में प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किये जाने की घोषणा करती हूं।

- एकीकृत तारानगर-झुंझुनूं-सीकर-खेतड़ी पेयजल परियोजना, जिला झुंझुनूं एवं सीकर।
- फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना, जिला सीकर ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मार्च, 2015 में लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर की पेयजल परियोजना पूरी होनी थी, आपकी सरकार ने उसको आज तक पूरा नहीं किया मुख्य

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मंत्री जी। मार्च, 2015 में पूरी होने वाली परियोजना को ...

श्री अध्यक्ष: Mr. Dotasra, don't disturb. I'll name you. यह क्या तरीका है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): - 'आपणी योजना' द्वितीय चरण (रतनगढ़-सुजानगढ़) पेयजल परियोजना, जिला चूरू।

- क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बस्सी पेयजल परियोजना, जिला जयपुर।
- बीलसपुर बाँध से टोंक उनियारा- देवली पेयजल परियोजना, जिला टोंक ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, यह क्या है, यह क्या है। इनको रोकिए, बजट की गरिमा है कुछ।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता, इनको कंट्रोल कीजिए। नहीं तो, मैं इनका नाम पुकारूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ...(व्यवधान)... आज यह अधिकार नहीं है आपका, बजट में बीच में टोकने का अधिकार नहीं है। नहीं है अधिकार आपका। बजट की गरिमा कम कर रहे हो आप, आपको शर्म आनी चाहिये। अब आपके चूहे दौड़ रहे हैं, शानदार बजट आ रहा है इसलिए आपके जलन लग रही है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): -क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना पीलवा-सादड़ी जम्बेश्वर नगर पेयजल परियोजना, जिला जोधपुर।

- बोराबास-मंडाना पेयजल परियोजना, जिला कोटा।
- चम्बल बूंदी cluster पेयजल परियोजना, जिला बूंदी।
- चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना द्वितीय चरण, जिला भीलवाड़ा।

इन सभी परियोजनाओं के पूर्ण होने से 19 कस्बों, 2 हजार 230 गांव एवं 3 हजार 430 ढाणियों में निवास करने वाली लगभग 41 लाख की आबादी लाभान्वित होगी।

36. इसी क्रम में निम्न major पेयजल परियोजनाओं का कार्य भी प्रारंभ करने की घोषणा करती हूं।

- वर्ष 2014-15 में 'सरकार आपके द्वार कार्यक्रम' के दौरान हमने पंचायत समिति प्रतापगढ़ के 272, पीपलखूंट के 102 और अरनोद के 180, कुल 554 गांवों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु जाखम बाँध से जल आपूर्ति हेतु DPR बनाने की घोषणा की थी। आगामी वर्ष में इस पेयजल परियोजना का 912 करोड़ 55 लाख

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

रुपये की लागत से क्रियान्वयन किया जायेगा, जिससे लगभग 4 लाख की आबादी लाभान्वित होगी।

- अगस्त, 2014 में 'सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम' के दौरान हमने पंचायत समिति क्षेत्र कुशलगढ एवं सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा की पेयजल समस्या के समाधान हेतु माही बांध से पेयजल उपलब्ध करवाने की योजना के लिये DPR बनाने की घोषणा की थी। अब पंचायत समिति कुशलगढ़ के 212 गांव एवं 195 ढाणियों एवं पंचायत समिति सज्जनगढ़ के 187 गांव तथा 200 ढाणियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये 684 करोड़ रुपये की लागत से योजना प्रारंभ की जाएगी, जिससे 4 लाख से भी अधिक की आबादी लाभान्वित होगी।
- बूंदी cluster distribution पेयजल परियोजना (विस्तार चंबल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना) जिला बूंदी-लागत 80 करोड़ 80 लाख रुपये। इस परियोजना से बरड़ क्षेत्र के 34 गांव तथा 25 मजरों-ढाणियों में निवास करने वाली लगभग 97 हजार की आबादी लाभान्वित होगी।
- चाकन बांध से इन्द्रगढ़ पेयजल परियोजना जिला बूंदी- लागत 73 करोड़ 93 लाख रुपये। इस परियोजना से जिला बूंदी के 2 शहर इन्द्रगढ़ एवं सुमेरगंज मण्डी एवं 45 गांव व 6 ढाणियों में निवास करने वाली लगभग 70 हजार की आबादी लाभान्वित होगी।
- डीडवाना शहर जिला नागौर के शहरी जल योजना का पुनर्गठन दो चरणों में किया जाएगा, जिस पर लगभग 32 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

37. बारां जिले की अंता तहसील के 17 गांवों तथा मांगरोल तहसील के 30 गांवों की पेयजल समस्या के समाधान के लिये कालीसिंध नदी के समीप गांव सोनवा पर एनीकट निर्माण कर योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। इससे लगभग 1 लाख 32 हजार से अधिक की आबादी लाभान्वित होगी एवं इस योजना पर लगभग 105 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

38. वर्ष 2015-16 में जनता जल योजनाओं को दुरुस्त करने के लिये 135 करोड़ 14 लाख रुपये की लागत की 1 हजार 586 योजनाएं स्वीकृत की गयीं। वर्ष 2016-17 में एक हजार अतिरिक्त योजनाओं को दुरुस्त करने के लिये 127 करोड़ 47 लाख रुपये की लागत की 767 योजनाएं स्वीकृत कर कार्य हाथ में लिये गये। इसी क्रम में 2017-18 में 500 अतिरिक्त जनता जल योजनाओं के सुदृढीकरण के कार्य हाथ में लिये जाएंगे।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

39. वर्ष 2015-16 की बजट घोषणा के अनुसार solar ऊर्जा आधारित 1000 नलकूपों की स्थापना के विरुद्ध 1 हजार 390 solar water pumping system मय 346 defluoridation units के 132 करोड़ 23 लाख रुपये की लागत के कार्य हाथ में लिये गये हैं। आगामी वर्ष में 1 हजार 175 solar defluoridation units के कार्य हाथ में लिये जाएंगे, जिन पर 137 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

40. वर्ष 2015-16 की बजट घोषणा के अनुसार बीकानेर, हनुमानगढ तथा गंगानगर जिले में विभाग द्वारा संधारित एवं नहर आधारित 150 डिग्गी पेयजल योजनाओं के दुरुस्तीकरण हेतु 90 करोड़ रुपये के प्रावधान के विरुद्ध 150 पेयजल योजनाओं के दुरुस्तीकरण हेतु 132 करोड़ 18 लाख रुपये की स्वीकृति जारी कर कार्य हाथ में लिये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इसी प्रकार के headworks के नवीनीकरण और डिग्गियों के सुधार कार्य 100 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।

41. ग्रामीण क्षेत्र में quality affected क्षेत्रों में RO Plant लगाने का कार्य किया जा रहा है। प्रथम चरण में 895 RO Plant स्थापित किये गये। द्वितीय चरण में 1 हजार 66 RO Plant 245 करोड़ 90 लाख रुपये की लागत के कार्य स्वीकृत किये गये हैं, इनमें से 445 RO Plant स्थापित किये गये हैं, शेष कार्य 2017-18 में पूर्ण किये जायेंगे। इसके अलावा वर्ष 2017-18 में 1 हजार 483 और RO Plant स्थापित किये जायेंगे।

42. 'सरकार आपके द्वार कार्यक्रम' एवं जिलों के भ्रमण के दौरान मेरे द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं में क्षतिग्रस्त जलाशयों, हैड वर्क्स, पम्पगृह आदि संरचनाओं के जीर्णोद्धार के निर्देश दिये गये थे, जिसकी पालना में वर्ष 2016-17 में 19 जिलों में इस प्रकार की 275 योजनाओं के जीर्णोद्धार हेतु 32 करोड़ 54 लाख रुपये के कार्य हाथ में लिये गये हैं और शेष कार्य आगामी वर्ष में संपादित किये जाएंगे।

43. राज्य की शहरी जल प्रदाय योजनाओं पर वर्तमान में non-revenue जल की मात्रा लगभग 35 से 40 प्रतिशत है। इसमें कमी लाते हुए पांच वर्षों में चरणबद्ध रूप से non-revenue जल की मात्रा को 15 से 20 प्रतिशत तक कम किया जाएगा। आगामी दो वर्षों में जयपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर तथा भरतपुर शहर में इस हेतु प्रत्येक शहर के दो जोनों में कार्य करवाया जाएगा।

44. जयपुर शहर में 24x7 जलापूर्ति के पायलट कार्य के अच्छे परिणामों के फलस्वरूप कोटा शहर के पेयजल वितरण तंत्र में भी वांछित सुधार कर अगले वर्षों में चरणबद्ध रूप से शहर में 24x7 जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी तथा non-revenue जल में कमी आयेगी। इस कार्य पर 850 करोड़ रुपये का व्यय होना अनुमानित है। कोटा शहर के

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के counter magnet शहर में चयनित होने के कारण यह कार्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना बोर्ड (NCRPB) से प्राप्त वित्त पोषण के आधार पर करवाया जाएगा।

45. शहरी क्षेत्र की कुछ कालोनियों में पेयजल व्यवस्था जिन स्रोतों से की जाती है, उनमें जल गुणवत्ता प्रभावित होती है। ऐसी कालोनियों का चिन्हीकरण कर आम जन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये वर्ष 2017-18 में भरतपुर जिले के डीग, कुम्हेर, नगर, कामां, नदबई तथा धोलपुर जिले के बाड़ी , सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी एवं चूरू जिले के रतनगढ़ तथा राजलदेसर कस्बे में निजी जन सहभागिता आधार पर प्रथम चरण में 30 RO Plants की स्थापना की जाएगी।

46. पेयजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण पर होने वाले व्यय में विद्युत प्रभार पर लगभग 40 प्रतिशत व्यय होता है। Energy Conservation Model के तहत निजी कंपनियां पुरानी पम्पिंग मशीनरी को अपने खर्च पर बदल कर 7 से 10 वर्ष तक रख रखाव करती हैं। जयसमंद-उदयपुर, कायनाला-जोधपुर आदि योजनाओं पर **Energy Conservation Model** की सफलता को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध रूप से राज्य की अन्य शहरी पेयजल योजनाओं का संचालन एवं संधारण Energy Conservation Model पर किया जाएगा।

47. पेयजल योजनाओं की प्रभावी मानेटरिंग करने के लिये नवीनतम तकनीकों का उपयोग आवश्यक है। Supervision Control and Data Acquisition (SCADA) system के द्वारा पेयजल आपूर्ति से संबंधित आंकड़े online देखे जा सकते हैं। इस प्रणाली की स्थापना से जल योजनाओं का प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाकर जलापूर्ति में सुधार संभव हो सकेगा। आगामी दो वर्षों में जयपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर शहर में चरणबद्ध रूप से SCADA System की स्थापना की जाएगी, जिस पर लगभग 120 करोड़ रुपये का व्यय होना अनुमानित है।

48. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिये आगामी वर्ष में 8 हजार 647 करोड़ 21 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 15.68 प्रतिशत अधिक है।

ऊर्जा :

49. राज्य के विद्युत वितरण निगमों पर 31 मार्च, 2014 तक ऋण भार 72 हजार 724 करोड़ रुपए हो चुका था तथा वर्ष 2013-14 में वितरण निगमों का घाटा 15 हजार 645

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

करोड़ रुपए पहुंच गया था। हमारी सरकार ने ऊर्जा सुधार के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं। 'उदय योजना' के तहत विद्युत वितरण निगमों का 62 हजार 421 करोड़ 96 लाख रुपए का ऋण राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण करना, इसका एक उदाहरण है।

50. गत तीन वर्षों में जनवरी, 2017 तक राज्य में विद्युत उत्पादन में 5086 मेगावाट क्षमता की वृद्धि हुई है। राज्य में 1,27,000 कृषि कनेक्शन एवं 17 लाख 87 हजार से अधिक घरेलू कनेक्शन जारी किए गये हैं। प्रसारण एवं वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए 765 केवी के दो, 400 केवी के चार, 220 केवी के 26, 132 के.वी. के 54 ग्रिड सब-स्टेशन तथा 33 के.वी. के 813 सब-स्टेशन स्थापित किये गये हैं।

51. प्रसारण व वितरण तंत्र के विकास हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में 400 केवी के दो, 220 केवी के छह, 132 केवी के पन्द्रह और 33 के.वी. के 200 नए सब-स्टेशन स्थापित किये जाएंगे।

52. अभी हाल ही में सरकार ने किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन के लिए एक सितम्बर, 2016 से बढ़ी हुई विद्युत दरों का भार राज्य सरकार द्वारा वहन करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में कुल 7 हजार 500 रुपये करोड़ से अधिक का अनुदान, जो किसानों की कृषि प्रयोजनार्थ दिया जा रहा है, वह आगामी वर्ष में बढ़कर लगभग 8 हजार 500 करोड़ रुपये हो जाएगा।

'उदय' के साठ हजार करोड़ से अधिक के कर्ज का भार लेने के बाद भी किसानों के हित में हमने यह फैसला लिया, क्योंकि हम मानते हैं कि 'हौसलें हों अगर बुलंद, तो मुट्ठी में हर मुकाम है मुश्किलें और मुसीबतें तो जिन्दगी में आम हैं'

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वाह, क्या बात है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री):

53. बूंद-बूंद फव्वारा एवं डिग्गी सिंचाई पद्धति आधारित कृषि कनेक्शनों के लिए सामान्य कृषि श्रेणी की दरें लागू करने की मांग की जाती रही है। इस मांग को दृष्टिगत रखते हुए इन योजनाओं में दिए गये कनेक्शनों को तीन वर्ष पश्चात् सामान्य श्रेणी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है।

54. कृषि कनेक्शनों के स्थानान्तरण की वर्तमान सीमा को पंचायत समिति से बढ़ाकर जिला क्षेत्र में कहीं भी करने एवं कृषि उपभोक्ताओं हेतु Civil Liability की अवधि को दो माह करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, यह भी घोषणा करती हूं कि आगामी दो वर्ष में एक लाख नये कृषि कनेक्शन दिये जायेंगे ....(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय मुख्यमंत्रीजी..। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इनको प्रताड़ित करिए।

श्री अध्यक्ष: सारा सदन इस बात को देख रहा है कि लक्ष्मणगढ़ से आने वाले विधायक द्वारा जो व्यवहार इस विधान सभा में किया जा रहा है और आज भी जिस तरह मुख्यमंत्री जी के भाषण को डिस्टर्ब किया जा रहा है। आज एक वार्निंग देता हूं नहीं तो अगली बार मैं आपका नाम पुकारूंगा और बाहर भेज दूंगा। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): (व्यवधान) 2013 में ये इस सदन में वैल में आये थे (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हमारा निवेदन है कि प्रदेश की जनता की आवाज को हम हमारी सदन की नेता तक देना चाह रहे हैं।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: (व्यवधान) यह ठीक नहीं है। यह तरीका नहीं है। आप बैठ जाइये। प्रस्ताव लाओ, गोविंद डोटासरा को बाहर निकालने का। जो होगा, देखा जाएगा। निकालो इनको। (भारी व्यवधान) No. I am not allowing. I am not allowing. (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): +++ यह कोई तरीका हुआ? आज एक माननीय सदस्य अपनी बात को नहीं रख सकते। सदन के अंदर बात नहीं रख सकते। (व्यवधान) आप सुनना नहीं चाहते। आप बात करो। हम आराम से हमारी बात कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे बात? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह बात सही नहीं है। यह अन्याय की बात है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव लाएं। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हम आसन को उस दृष्टि से देखते हैं और आसन कहे कि हम आपको बाहर भेज देंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आसन पर इस प्रकार की टीका-टिप्पणी उचित नहीं है, प्रतिपक्ष के नेता। (व्यवधान) आसन पर इस प्रकार की टीका-टिप्पणी उचित नहीं है। यह संसदीय मर्यादाओं के विरुद्ध है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): क्योंकि आपने सुराज संकल्प के अंदर ये बातें राजस्थान की प्रजा को कही हैं।(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): हां, बैठ जाओ आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप जवाब दे देना। आपको मौका आएगा, जवाब देना।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): क्यों नहीं कहेंगे हम माननीय अध्यक्ष महोदय ? कहने से आप हमारा मुंह बंद कर सकते हो ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपका मौका आयेगा, जब बोल देना । आप बोल लेना, आपको मौका मिलेगा। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने अपने श्रीमुख से यह कहा कि माननीय सदस्य को +++ माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका हुआ ? हम क्यों नहीं बोल सकते ? सरकार आप की है और आपने राजस्थान की प्रजा के बीच में बैठकर लिखित में एक घोषणा-पत्र दिया था। उस घोषणा-पत्र के मुताबिक काम करो न। माननीय अध्यक्ष महोदय, कौन मना कर रहा है। (व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, समय लगेगा जितना लंबा ये करेंगे उतना ही लंबा होगा। क्योंकि इसको तो पढ़ूंगी।

55. गत कई वर्षों से राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगमों में नये कार्यालय स्थापित नहीं किये गये हैं, जबकि इन वर्षों में उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। अत: वितरण निगमों के संगठनात्मक ढांचे का पुनर्गठन कर आवश्यकतानुसार नये उपखण्ड और वृत्त कार्यालय खोले जाएंगे।

56. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सभी जन-प्रतिनिधियों और किसान भाइयों से यह आग्रह करती हूं कि जहां एक ओर राज्य सरकार ने DISCOMs में वित्तीय चुनौतियों के बावजूद भी कृषि की बढ़ी हुई विद्युत दरों को किसानों के हित में वापिस लेने का फैसला किया है, वहीं आप सभी विद्युत छीजत को रोकने में राज्य सरकार का पुरजोर सहयोग करेंगे।

पर्यटन:

57. प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमने जनवरी, 2016 में राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय मीडिया, सोशल मीडिया आदि पर व्यापक स्तर पर aggressive marketing campaign का शुभारम्भ किया था, जिसके अंतर्गत प्रतिष्ठित creative agency के माध्यम से लघु फिल्में व अन्य creative-ad बनाकर देश-विदेश के प्रमुख समाचार पत्र-पत्रिकाओं, टी.वी. चैनलों, सोशल मीडिया आदि माध्यमों से प्रचारित किया गया है। Media campaign के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न Travel Mart,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

Seminar एवं conference का आयोजन कर राजस्थान पर्यटन का प्रचार-प्रसार किया गया, जिसका अच्छा response प्राप्त हुआ है। वर्ष 2014 में 3 करोड़ 46 लाख, वर्ष 2015 में 3 करोड़ 66 लाख तथा वर्ष 2016 में 4 करोड़ 30 लाख देशी-विदेशी पर्यटक राज्य में आये हैं। वर्ष 2016 में 2015 की तुलना में पर्यटकों की संख्या में 17.31 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

58. प्रदेश को आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में प्रायोजित करने के लिए 2017-18 में aggressive marketing campaign के तहत विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु 88 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

59. आगामी वर्ष में प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सुविधाएं, सौंदर्यकरण, संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के कार्य 36 करोड़ रुपए की लागत से करवाये जायेंगे।

कला एवं संस्कृति:

60. वर्ष 2015-16 में प्रथम चरण में 10 संग्रहालयों - अजमेर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, जोधपुर, पाली, बीकानेर, सीकर और जैसलमेर में पुनरुद्धार एवं विकास कार्य करवाने की घोषणा की गयी थी, जिसके लिए 37 करोड़ 53 लाख रुपए के कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

61. वर्ष 2017-18 में 8 संग्रहालयों यथा शाहपुरा - भीलवाड़ा, चंद्रावती-सिरोही, मण्डोर -जोधपुर, विराटनगर-जयपुर, आहाड़-उदयपुर, अलवर, डूंगरपुर और अल्बर्ट हॉल-जयपुर में 13 करोड़ रुपये की लागत से संरक्षण एवं विकास कार्य प्रारंभ करवाये जाएंगे।

62. अजमेर और भरतपुर में दो-दो, नागौर व कोटा में एक-एक पुरातत्व स्थल के संरक्षण का कार्य 6 करोड़ 46 लाख रुपये की लागत से प्रारंभ किया जाएगा।

63. स्वामी विवेकानन्द की स्मृतियों से जुड़े हुए खेतड़ी के फतेहविलास महल के शेष रहे जीर्णोद्धार और संरक्षण के कार्य आगामी वर्ष में पूरे कराये जाएंगे तथा आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

64. मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक में प्राचीन दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथों का अमूल्य संग्रह है। इन हस्तलिखित ग्रंथों को बचाने के लिए इनका digitisation 12 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से करवाया जाएगा। साथ ही, संस्थान में उपलब्ध शरीयत पर प्राचीन एवं अनुपम रिकॉर्ड का digitisation भी 11 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से करवाया जाएगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

65. राज्य सरकार द्वारा मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास के प्रतीक चित्तौड़गढ़ किले के संरक्षण तथा systematic विकास के लिए ASI की सहमति व सहभागिता से Chittorgarh Fort Development Authority का गठन किया जाएगा।

66. आगामी वर्ष में चालकनेची पेनोरमा,चालकना (तन्नोट माता जन्मस्थान) बाड़मेर, कृष्ण भक्त अलीबख्स पेनोरमा, मुण्डावर-अलवर, मावजी महाराज पेनोरमा, बेणेश्वर-डूंगरपुर एवं निम्बार्काचार्य पेनोरमा, सलेमाबाद-अजमेर के कार्य 11 करोड़ रुपये की लागत से करवाए जाएंगे।

67. राज्य की महत्वूर्ण वक्फ दरगाहों जैसे दरगाह हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी जिला नागौर, दरगाह अधरशिला, कोटा, दरगाह ख्वाजा हमीदुद्दीन चिश्ती उर्फ मिट्ठेमहाबली गागरोन जिला झालावाड़ तथा दरगाह हजरत मीरा साहब बूंदी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिस पर 7 करोड़ 58 लाख रुपये का व्यय होगा।

68. कला, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के लिए आगामी वर्ष में 156 करोड़ 83 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 49.42 प्रतिशत अधिक है।

देवस्थान:

69. बिहारी जी का मंदिर, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, भरतपुर, केशवराय मंदिर, केशवरायपाटन-बूंदी एवं सूर्य मंदिर झालरापाटन-झालावाड़ में 20 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य करवाए जाएंगे।

70. दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार ने 10 हजार वरिष्ठ नागरिकों को 13 धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई है। आगामी वर्ष इस योजना के तहत 20 हजार वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी, जिनमें से 5 हजार वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से यात्रा करवाई जाएगी।

71. राज्य के प्रत्यक्ष प्रभार के 40 मंदिरों के लिए भोगराग हेतु 36 हजार रुपये वार्षिक तथा 350 मंदिरों हेतु प्रति मंदिर 1 हजार 200 रुपये वार्षिक का प्रावधान है। आगामी वर्ष में इस राशि को बढ़ाकर दुगना किया जाएगा।

72. बनारस उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे मणिकर्णिका घाट के पास स्थित महादेव मंदिर एवं कुंड, जो अलवर मंदिर के नाम से विख्यात है, के जीर्णोद्धार और मरम्मत का कार्य एक करोड़ रुपये की लागत से करवाया जाएगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

73. उत्तर प्रदेश के वृन्दावन स्थित श्री राधा माधव जी मंदिर, जो जयपुर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, की स्थापना का शताब्दी वर्ष मई 2017 में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में मंदिर के सौंदर्यकरण,प्रकाश व्यवस्था इत्यादि के लिए 50 लाख रुपये की घोषणा करती हूं।

74. मुझे यह बताते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि राज्य सरकार तिरूपति बालाजी तथा बद्रीनाथ के धार्मिक महत्व को देखते हुए वहां पर धर्मशालाओं की व्यवस्था करवाएगी।

वन:

75. ऐतिहासिक नगर जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर आकल में Wood fossil पार्क है इस Wood fossil पार्क में मौजूदा fossils को संरक्षित करने, इन्हें बेहतर तरीके से प्रदर्शित करने एवं पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं के विकास का कार्य किया जाएगा। इस परियोजना पर 10 करोड़ 90 लाख रुपये का व्यय होगा। वर्ष 2017-18 में इसके लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

76. Desert National park और उसके आस-पास के क्षेत्र में राज्य पक्षी गोडावण (Great Indian Bustard) के संरक्षण हेतु स्थानीय ग्रामवासियों के सहयोग से Grasslands का विकास किया जाएगा। इसके लिए वर्ष 2017-18 में 10 करोड़ रूपये का व्यय किया जाएगा।

77. प्रदेश में Leopard एक महत्वपूर्ण वन्यजीव है। Leopard कई बार वन्य क्षेत्र के समीप के आबादी वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं, जिससे मानव Leopard संघर्ष की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे प्रभावित क्षेत्रों में Leopard के प्रति जन आक्रोश उत्पन्न होता है इसके ठीक विपरीत ऐसे उदाहरण भी हैं, जहां मानव तथा Leopard शांतिपूर्ण तरीके से Co-exist कर रहे हैं। अत: Leopard के संरक्षण हेतु Project Leopard प्रारम्भ किया जाएगा। वर्ष 2017-18 में इस हेतु 7 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

78. माउण्टआबू स्थित Trevor's Tank को Eco-Tourism के दृष्टिकोण से विकसित किया जाएगा।

79. प्रदेश में Tiger एवं Leopard के संरक्षण तथा वन्य क्षेत्रों में शिकार एवं अन्य अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु रणथम्भौर, सरिस्का, जवाई तथा मुकंदरा वन्यजीव अभयारण्यों एवं झालाना आरक्षित वनक्षेत्र में सुरक्षा हेतु IT security system लगाये जाने की घोषणा करती हूं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

80. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत जल संरक्षण संरचनाओं को स्थायित्व प्रदान करने हेतु करवाये जा रहे वृक्षारोपण के समय बड़े पौधों की कमी महसूस की गयी है। द्वितीय चरण में लगभग 60 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो प्रथम चरण की उपलब्धि के दुगने से भी अधिक है। आगामी वर्ष में 25 लाख बड़े पौधे तैयार करने हेतु 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

81. शहरी क्षेत्र की जनता को प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराने, भ्रमण और मनोरंजन हेतु स्थल प्रदान करने तथा शहरों के पर्यावरण एवं परिस्थिति का संतुलन बनाए रखने हेतु जयपुर में JLN मार्ग पर झालाना वन क्षेत्र में विकसित स्मृति वन की तर्ज पर राज्य में निम्न स्थानों पर स्मृति वनों का विकास किया जाएगा, जिसके लिए आगामी वर्ष में 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है:-

बांसवाड़ा-त्रिपुरा सुंदरी स्मृति उद्यान- लागत 47 लाख रुपये।

बाड़मेर- बाड़मेर हिल्ली स्मृति उद्यान- लागत 2 करोड़ 96 लाख रुपये।

जालौर-सुंधा माता स्मृति उद्यान- लागत 1 करोड़ 81 लाख रुपये।

बारां-शाहबाद किला स्मृति उद्यान- लागत 24 लाख रुपये।

भीलवाड़ा- भरख माता स्मृति उद्यान- लागत 25 लाख रुपये।

उक्त उद्यानों में एक हिस्सा आम जन द्वारा उनके परिजनों की स्मृति में पौधारोपण हेतु भी आरक्षित रखा जाएगा।

पर्यावरण:

82. बिठुजा औद्योगिक क्षेत्र- बाड़मेर में उद्योगों द्वारा कपड़ों की धुलाई में उपयोग किया जाने वाला Caustic soda प्रदूषित पानी के साथ काफी मात्रा में व्यर्थ निकलता है। इसको पुन: उपयोगी बनाने के लिए पायलट स्तर पर एक सामूहिक Caustic soda recovery plant की 6 करोड़ रुपये की लागत से स्थापना की जाएगी।

83. भिवाड़ी आद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु CETP भिवाड़ी पर 52 करोड़ रुपये की लागत से 6 MLD RO plant की स्थापना की जाएगी।

निवेश एवं आर्थिक वृद्धि

उद्योग:

84. राज्य सरकार द्वारा Ease of Doing Business की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। भारत सरकार द्वारा चिह्नित 336 गतिविधियों में से 324

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

गतिविधियों को पूर्ण कर लिया गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 के मूल्यांकन में राज्य को 61 प्रतिशत गतिविधियां पूर्ण करने पर aspiring leader state की श्रेणी में रखा गया था। इस वर्ष के मूल्यांकन में 96 प्रतिशत गतिविधियां पूर्ण करने के फलस्वरूप प्रदेश को Business reforms की क्रियान्विति में leader state की श्रेणी में रखा गया है।

85. राज्य में उद्यम की स्थापना व संचालन को आसान बनाने हेतु Single Window System को वर्ष 2016 में पूर्णतया Online System में परिवर्तित किया गया। Single Window portal को one stop clearance System बनाने के उद्देश्य से सभी विभागों से संबंधित स्वीकृतियों एवं अनुपालना रिपोर्ट्स की सुविधा Single Window portal पर ही उपलब्ध करवाई जाएगी, साथ ही इस पर एक से अधिक विभागों से स्वीकृतियों हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए एकीकृत आवेदन प्रपत्र के माध्यम से सभी विभागों द्वारा स्वीकृतियां जारी करने को वैधता प्रदान की जाएगी।

86. प्रदेश में उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से स्थापित Central Institute of plastic Engineering and Technology (CIPET) जयपुर में 51 करोड़ 32 लाख रुपये की लागत से High Learning Centre (HLC) की स्थापना की जाएगी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 25 करोड़ 66 लाख रुपये उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस HLC की स्थापना से प्रदेश में plastic Engineering and Technology के क्षेत्र में skilled technical manpower उपलब्ध हो सकेगी।

87. राज्य सरकार द्वारा कपड़ा व कृषि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में import-export को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की सहभागिता से दो नये केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

88. राजस्थान वित्त निगम (RFC) द्वारा युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत युवाओं को स्वयं की परियोजना स्थापित करने हेतु 5 करोड़ रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान की जाती है, जिसके प्रथम 90 लाख रुपये के ऋण पर राज्य सरकार द्वारा 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है। युवाओं की परियोजना को viable बनाने और लागत कम करने के उद्देश्य से ब्याज अनुदान हेतु ऋण की सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ 50 लाख रुपये किया जाएगा।

89. RIICO द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में भू-प्रबंधन एवं आबंटन के कार्य Online किये जा रहे हैं व भुगतान एवं प्राप्ति की प्रक्रिया भी cashless कर दी गयी है। आगामी वर्ष से

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

RIICO द्वारा उद्यमियों को प्रदत्त समस्त सेवाओं का प्रबंधन Online किया जाएगा। साथ ही, निवेश से संबंधित RIPS के अन्तर्गत प्रोत्साहन देने की समस्त प्रक्रियाएं भी आनलाइन की जाएंगी।

90. वर्ष 2017-18 में 5 औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु RIICO द्वारा अग्निशमन केन्द्र निर्मित कर, संबंधित स्थानीय निकाय को उपलब्ध करवाया जाएगा।

91. Micro, Small, Medium Enterprises मंत्रालय, भारत सरकार की Assistance to Training Institute योजना के तहत जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर तथा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर की तर्ज पर उद्यमिता प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है।

92. युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग अथवा start-ups के माध्यम से public procurement के तहत पूर्व अनुभव एवं turnover के निर्धारित मापदण्ड में आवश्यक शिथिलता प्रदान की जायेगी। ताकि युवाओं द्वारा संचालित किये जा रहे start-ups अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को सरकारी procurement में भाग लेने का अवसर मिल सके।

खनन:

93. खनन पट्टों के आबंटन, Royalty Collection Contract (RCC) एवं Excess RCC के ठेकों में पारदर्शिता लाने एवं अधिक राजस्व प्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार के सभी कार्य e-Auction के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है।

94. प्रदेश में खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याणार्थ पेयजल योजना से सम्बन्धित, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, दिव्यांग एवं वृद्धजनों के कल्याण, कौशल विकास, सड़क निर्माण और नवीनीकरण, ऊर्जा, सिंचाई एवं जल संरक्षण के कार्यों पर 500 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा।

कृषि एवं पशुपालन

कृषि:

95. कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये राजधानी में Global Rajasthan Agritech Meet (GRAM) का भव्य आयोजन किया गया। पार्टनर देश इजरायल के अलावा आस्ट्रेलिया, जापान, नीदरलैण्ड, ईरान,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कजाकिस्तान और नाइजीरिया के participants ने GRAM की शोभा बढ़ाई। इसकी सफलता एवं कृषकों में इस event के प्रति उत्साह को ध्यान में रखते हुए आगामी दो वर्षों में सम्भाग स्तर पर भी GRAM का आयोजन किया जाएगा।

96. 'स्वस्थ धरा एवं खेत हरा' का विजन रखते हुए माननीय प्रधान मंत्रीजी के द्वारा 19 फरवरी, 2015 को प्रदेश के सूरतगढ़ में soil health card योजना का शुभारम्भ किया गया था। इस योजना के तहत जनवरी, 2017 तक 29 लाख soil health card किसानों को उपलब्ध करवाये गये हैं। आगामी वर्ष soil health card में दर्शायी गयी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति के लिये एक लाख किसानों को मिनिकिट वितरित किये जाएंगे।

97. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस वर्ष खरीफ में 53 लाख कृषकों के 73 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल का तथा रबी में 30 लाख कृषकों के 29 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल का बीमा किया गया।

98. वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार द्वारा बेहतर उर्वरक अग्रिम भण्डारण के कारण किसानों को, समय पर मांग के अनुसार, उर्वरक की उपलब्धता रही है। वर्ष 2017-18 में भी कृषकों की मांग के अनुसार उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये एक लाख 50 हजार मैट्रिक टन यूरिया तथा 20 हजार मैट्रिक टन DAP का अग्रिम भण्डारण किया जायेगा, जिस पर 27 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

99. वर्तमान में किसानों को फव्वारा संयंत्र पर DPAP/DDP क्षेत्र के सामान्य तथा लघु एवं सीमांत किसानों को इकाई लागत का क्रमश: 45 एवं 60 प्रतिशत तथा Non-DPAP/DDP क्षेत्र के सामान्य तथा लघु एवं सीमांत किसानों को इकाई लागत का क्रमश: 35 एवं 45 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है, जिसे वर्ष 2017-18 में DPAP/DDP क्षेत्र के लघु एवं सीमांत किसानों को देय 60 प्रतिशत अनुदान को बढ़ा कर 65 प्रतिशत तथा सामान्य श्रेणी के किसानों को वर्तमान में देय 45 प्रतिशत अनुदान को बढ़ा कर 50 प्रतिशत किये जाने की घोषणा करती हूं। इसी प्रकार Non-DPAP/DDP क्षेत्र के लघु एवं सीमांत किसानों को वर्तमान में देय 45 प्रतिशत अनुदान को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाता है तथा सामान्य श्रेणी के किसानों को वर्तमान में देय 35 प्रतिशत अनुदान को बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जाता है।

100. उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, झालावाड़ में Forestry and Wildlife के नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाएंगे।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

101. राज्य में किसानों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु उनके खेतों पर गुणवत्तायुक्त उन्नत बीज उत्पादन किये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना प्रारम्भ की जाएगी। मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना में गेहूं, ज्वार, सोयाबीन, मूंग एवं उड़द फसलों का बीज उत्पादन लिया जाएगा। योजना को प्रारम्भिक रूप से राज्य के कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर कृषि खण्डों के जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारम्भ किया जाएगा।

102. गौण मण्डी, छीपा बड़ौद एवं हरनावदा शाहजी को सम्मिलित कर पृथक् मण्डी बनाने की घोषणा करती हूं।

103. उद्यान विभाग द्वारा किसानों के लिये व्यक्तिगत एवं सामूहिक लाभ की विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। योजनाओं को पारदर्शी बनाने एवं digitise करने हेतु भौतिक सत्यापन को मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की तर्ज पर work site से फोटो खींच कर Geo-Tagging करवा कर जिला एवं राज्य स्तर से monitoring की जाएगी।

104. एक हजार 180 Kisan Sewa Kendra-cum-Village Knowledge Centers पर बिजली, पानी, फर्नीचर आदि की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 5 करोड़ 40 लाख रुपये का व्यय किया जाएगा।

105. कृषि विभाग के लिये आगामी वर्ष में 3156 करोड़ 61 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

सहकारिता:

106. वर्ष 2017-18 में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को रियायती ब्याज पर फसली ऋण प्रदान करने के लिये इन बैंकों को 370 करोड़ रुपये की अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। केन्द्रीय सहकारी बैंकों को फसली ऋण के वितरण पर हो रही हानि की पूर्ति के लिये क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान के रूप में 150 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जाएंगे।

107. केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वाले समस्त 26 लाख किसानों को EMV RuPay किसान डेबिट कार्ड उपलब्ध करवाये जाएंगे।

108. वर्ष 2016-17 के बजट में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा संचालित सहकार किसान कल्याण योजना के तहत 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिये जाने की घोषणा की गयी थी। यह अनुदान वर्ष 2017-18 में भी दिया जाएगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

109. राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक (SLDB) एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों (PLDB) द्वारा वितरित long term सहकारी कृषि ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

110. वर्तमान में नवगठित 35 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में गोदाम नहीं हैं। इन समितियों के गोदाम का निर्माण चरणबद्ध रूप से करवाया जाएगा। प्रथम चरण में वर्ष 2017-18 में 20 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में 250 मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माण हेतु प्रति समिति 25 लाख रुपये की दर से पांच करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जाएंगे।

111. वर्ष 2016-17 में नवगठित 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों, LAMPS के गोदाम एवं कार्यालय भवन निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये गये थे। आगामी वर्ष में भी 100 नवगठित ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं LAMPS में सौ मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम एवं कार्यालय भवन निर्माण हेतु प्रति समिति 10 लाख रुपये की दर से दस करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जाएंगे।

112. सहकारिता आन्दोलन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से झालावाड़ जिले में झालरापाटन क्रय-विक्रय सहकारी समिति में 200 मैट्रिक टन की क्षमता के cold storage का निर्माण 3 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से करवाया जाएगा।

113. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों पर गुणवत्ता युक्त मल्टी ब्राण्ड वस्तुएं उपलब्ध करवाने हेतु प्रारम्भ की गयी अन्नपूर्णा भण्डार योजना सफल रही है। अत: इनकी सफलता को देखते हुए क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारी क्षेत्र में भी आवश्यकतानुसार अन्नपूर्णा भण्डार प्रारम्भ किये जाएंगे।

114. स्पिनफैड की तीनों इकाइयों के कई वर्षों से लगातार घाटे में चलने से बंद हुई इकाइयों में कार्यरत कर्मचारी एवं श्रमिकों को अनावश्यक आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इस हेतु उनके लिये एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लाई गयी है। अब तक एक हजार 84 कर्मचारी-श्रमिकों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली गयी है एवं इस हेतु फैडरेशन को 49 करोड़ 64 लाख रुपये की ऋण राशि उपलब्ध करवाई गयी है। आगामी वर्ष में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी विकास:

115. मेरी सरकार के गत कार्यकाल में मैंने भेड़पालकों को राहत देते हुए भेड़ों के लिये "अविका कवच योजना" प्रारम्भ की थी, परन्तु कालांतर में इसे बंद कर दिया गया। इसे अब पुन: चालू करने की घोषणा करती हूं। इस योजना के तहत S.C., S.T. एवं

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

B.P.L. के किसानों द्वारा भेड़ों का बीमा करवाने पर प्रीमियम राशि का 80 प्रतिशत एवं अन्य वर्ग के पशुपालकों के लिये 70 प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इससे भेड़ों की मृत्यु होने पर किसानों को बीमित राशि प्राप्त हो सकेगी।

116. हमने वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में कुल एक हजार 600 ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की थी, परन्तु फिर भी प्रदेश की 4 हजार 160 ग्राम पंचायतों में अभी भी पशु चिकित्सालय की कोई इकाई स्थापित नहीं है। आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से सभी ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जाने की घोषणा करती हूं।

117. वर्तमान में आठ पंचायत समिति तथा दो तहसील मुख्यालयों पर प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय स्थापित नहीं हैं। अत: आगामी वर्ष में पंचायत समिति धनाऊ एवं पाटोदी-बाड़मेर, पांचु-बीकानेर, डोबडा-डूंगरपुर, जालसू-जयपुर, बापिनी एवं शेखाला-जोधपुर, झल्लारा-उदयपुर तथा तहसील झोथरी-डूंगरपुर और बागोड़ा-जालौर में संचालित पशु चिकित्सा संस्थानों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा।

118. जयपुर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर में संचालित सम्भाग स्तरीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में colour Doppler machine एवं अन्य आधुनिक रोग निदान उपकरणों की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

119. पशुपालन के क्षेत्र में राजस्थान के बीकानेर में ही राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित है, जहां पशुओं के स्वास्थ्य के लिये उच्च स्तरीय हास्पिटल एवं रिसर्च सेण्टर स्थित है, इसका लाभ प्रदेश के पशुपालकों को देने के लिये सभी सात सम्भागीय मुख्यालयों के polyclinics को telemedicine के माध्यम से जोड़ने की घोषणा करती हूं।

120. गत दो वर्षों में खोले गये एक हजार 600 नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्रों में आवश्यक फर्नीचर, औजार एवं उपकरण हेतु आठ करोड़ रुपये तथा एक हजार 500 पशु चिकित्सा संस्थाओं को पानी-बिजली की सुविधा प्रदान करने हेतु 7 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

(12.00 बजे)

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

121. नाबार्ड के तहत 200 पशु चिकित्सा संस्थानों के भवनों का निर्माण 49 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से करवाया जाएगा।

122. महिला सशक्तीकरण एवं महिलाओं को ग्रामीण स्तर पर आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से 2017-18 में एक हजार नवीन महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा।

123. राज्य की शेष बची सभी पंजीकृत महिला दुग्ध समितियां जिनमें मिल्को टैस्टर नहीं है, उन सभी समितियों में मिल्को टैस्टर देने की घोषणा करती हूं।

124. राज्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2017-18 में गंभीरी बांध, जिला चित्तौड़गढ़ पर 5 करोड़ रुपये की लागत से क्षेत्रीय fish brood bank की स्थापना की जाएगी।

125. राज्य की पशु चिकित्सा संस्थाओं के सुचारु संचालन के लिए आगामी वर्ष में 900 पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं 4 हजार पशुधन सहायकों के रिक्त पदों को भरा जाएगा।

126. पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी विकास विभाग के लिए आगामी वर्ष में 822 करोड़ 37 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 17.47 प्रतिशत अधिक है।

जल संसाधन और सिंचित क्षेत्र:

127. गत तीनों वर्षों में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन को गति प्रदान करते हुए 46 हजार 782 हैक्टेयर नवीन क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है। हमारी सरकार द्वारा इस दौरान 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं के जीर्णोद्धार पर 50 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गयी है। आगामी दो वर्षों में कोटा, सिरोही, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, टोंक, चित्तौड़गढ़, सीकर, सवाई माधोपुर एवं अजमेर जिले की 36 लघु सिंचाई परियोजनाओं के जीर्णोद्धार का कार्य 56 करोड़ 70 लाख रुपये की लागत से करवाया जाएगा।

128. चंबल नहर की वितरण प्रणाली में सुधार हेतु गत तीन वर्षों में 115 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं, जिसे चालू रखते हुए आगामी वर्ष में भी 125 करोड़ रुपये की लागत से सुधार कार्य करवाये जाएंगे।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

129. हमने गत तीन वर्षों में गंग नहर प्रणाली की 42 किलोमीटर लंबाई की लाइनिंग के कार्य 156 करोड़ रुपये एवं नेता वाला, फकीरा वाली, पी.एस. सुलेमानकी एवं डाबला हैड का निर्माण कार्य 13 करोड़ रुपये की लागत से करवाया है। साथ ही, भाखड़ा सिंचाई प्रणाली, सिद्धमुख नहर प्रणाली तथा अमर सिंह नहर शाखा में लाइनिंग का कार्य 18 करोड़ रुपये की लागत से करवाया गया है।

130. रावतसर, अनूपगढ़, सूरतगढ़ में New Development Bank द्वारा वित्त पोषित retro-active financing model के तहत RWSRDP project में अब तक 102 करोड़ रुपये के कार्यादेश दिये जा चुके हैं।

131. हरिके बैराज के गेटों को बदलने, बैराज एवं नहर की डीसिल्टिंग, जीर्णोद्धार तथा माधोपुर व्यास लिंक की विशेष मरम्मत हेतु 66 करोड़ रुपये वर्ष 2016-17 में पंजाब सरकार को हस्तांतरित किये गये हैं ताकि नहर बंदी के दौरान इन महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर प्रदेश के हिस्से का अधिक से अधिक जल प्राप्त किया जा सके।

132. Four Water Concept के तहत 320 micro irrigation tank, 48 check dams एवं 50 micro storage tank के कार्य प्रारंभ किये गये हैं, जिनमें से जनवरी, 2017 तक 269 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अब तक 747 करोड़ के स्वीकृत कार्यों पर 366 करोड़ रुपये व्यय किया जा चुका है। यह कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिये जाएंगे।

133. गत तीन वर्षों में गंग नहर, सिद्धमुख नहर, भाखड़ा नहर प्रणाली, अमरसिंह शाखा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में 242 करोड़ रुपये की लागत से पक्के खालों का निर्माण करवाया गया है, जिससे एक लाख 10 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में किसान को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकी है। आगामी वित्तीय वर्ष में माही, पांचना, चवली, छापी, गंभीरी, जवाई, भाखड़ा फेज-2, गंग नहर फेज-3 के नहर प्रणाली क्षेत्रों में पक्के खालों का निर्माण प्रारंभ करवाया जाएगा, जिससे 3 लाख 56 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

134. चंबल बेसिन के पानी को राज्य के अन्य जिलों में पहुंचाने के लिए Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP) की DPR तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। इससे राज्य के 13 जिलों (झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा व धौलपुर) की पेयजल एवं सिंचाई की दीर्घकालीन आवश्यकता पूरी हो सकेगी।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

135. बारां, झालावाड़ एवं कोटा जिले के लगभग 2 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा एवं 820 गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए परवन बहूद्देशीय सिंचाई परियोजना हेतु आवश्यक clearance प्राप्त कर बांध के निर्माण हेतु टेंडर आमंत्रित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस परियोजना पर 700 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है, आगामी वर्ष में इस हेतु एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

136. परवन बहूद्देशीय सिंचाई परियोजना तथा Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP) को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने हेतु भारत सरकार के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं।

137. बूंदी जिले में वर्ष 2010 में क्षतिग्रस्त हुए गरड़दा बांध का पुनर्निर्माण नहीं होने के कारण लगभग 9 हजार हैक्टेयर क्षेत्र के किसानों को मिलने वाला लाभ कई वर्षों से लंबित है। आगामी वर्ष इस क्षतिग्रस्त बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

138. धौलपुर लिफ्ट परियोजना की आवश्यकता पिछले कई दशकों से महसूस की जा रही है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि राज्य सरकार के प्रयास से लंबे समय से लंबित clearance अब प्राप्त कर ली गयी है। आगामी वर्ष 800 करोड़ रुपये की इस परियोजना पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जिससे धौलपुर के 114 तथा राजाखेड़ा के 62, कुल 176 गांवों के 34 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

139. राज्य सरकार ने जल संरक्षण की दृष्टि से दूरगामी नीतिगत निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत भविष्य में बनाई जाने वाली सिंचाई परियोजना में बूंद-बूंद एवं फव्वारा पद्धति से सिंचाई अनिवार्य कर दी गयी है।

140. चौधरी कुंभाराम आर्य (साहवा) लिफ्ट सहित 6 लिफ्ट स्कीमों के 3 लाख 20 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र को फव्वारा पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु एक हजार 658 करोड़ रुपये की परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है।

141. जल संसाधन विभाग के लिए आगामी वर्ष में 3 हजार 313 करोड़ 8 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 11.14 प्रतिशत अधिक है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मानव संसाधन एवं सामाजिक विकास

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता:

142. अध्यक्ष महोदय, मेरा सदा ही यह प्रयास रहा है कि उपेक्षित तथा जरूरतमंद वर्गों को सरलता, सुगमता और पारदर्शिता से राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिले। इसी क्रम में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने छात्रावासों व आवासीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया तथा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, अनुप्रति, पालनहार, सहयोग एवं उपहार योजनाओं को online पद्धति से क्रियान्वित किया है।

143. वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजनान्तर्गत 18 से 75 वर्ष की आयु पर 500 रुपये प्रति माह तथा 75 वर्ष की आयु से अधिक की आयु पर 750 रुपये प्रति माह की पेंशन देय है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से संचालित विधवा पेंशन योजनान्तर्गत आयु वर्ग 40 से 75 वर्ष के लिए 500 रुपये प्रति माह तथा 75 वर्ष से अधिक आयु पर 750 रुपये प्रति माह पेंशन देय है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विधवा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की विधवा पेंशनर्स को देय पेंशन राशि को एक जुलाई, 2017 से बढ़ाकर अब एक हजार रुपये प्रति माह तथा 75 वर्ष से अधिक आयु की विधवा पेंशनर्स को देय पेंशन राशि को एक हजार 500 रुपये प्रति माह किये जाने की घोषणा करती हूं।

144. वर्तमान में सहयोग एवं उपहार योजना के तहत बी.पी.एल., अन्त्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार की एवं आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान कर संबल प्रदान किया जाता था। वर्तमान में इस योजना के तहत कन्या के विवाह पर 10 हजार रुपये की अनुदान राशि दी जाती है। बालिका शिक्षा को प्रेरित करने के लिए कन्या के दसवीं पास करने के पश्चात् विवाह पर प्रोत्साहन राशि 5 हजार रुपये तथा स्नातक पास कन्या के विवाह पर प्रोत्साहन राशि 10 हजार रुपये अतिरिक्त दी जाती है। आगामी वर्ष से इस योजनान्तर्गत कन्या के विवाह पर देय अनुदान राशि तथा प्रोत्साहन राशि दोनों को दुगना किये जाने की मैं घोषणा करती हूं।

145. राज्य सरकार द्वारा 8 वर्ष की आयु तक 250 रुपये प्रति माह, 75 वर्ष की आयु तक 500 रुपये तथा 75 वर्ष या इससे अधिक आयु पर 750 रुपये प्रति माह की पेंशन मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

भारत सरकार 18 वर्ष से कम आयु के विशेषयोग्यजन को पेंशन प्रदान नहीं करती है। राज्य में विशेष योग्यजन को एक जुलाई, 2017 से आयु को आधार ना मानकर समस्त पात्र विशेष योग्यजनों को समान रूप से 750 रुपये प्रति माह पेंशन दिये जाने की मैं घोषणा करती हूं।

146. राजकीय छात्रावासों के विद्यार्थियों को संबंधित राजकीय विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तरीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन हेतु जाना होता है। प्रदेश में 233 छात्रावास ऐसे हैं, जो संबंधित राजकीय विद्यालय और महाविद्यालय से दो या दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित हैं। ऐसे छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से छात्रावास द्वारा साईकिल उपलब्ध करवायी जाएगी।

147. प्रदेश के किसी भी लावारिस व निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में दाह-संस्कार करवाने वाली स्वयंसेवी संस्था को इस हेतु पांच हजार रुपये की राशि दे दी जाएगी।

148. विद्यालय एवं महाविद्यालयों में नियमित अध्ययनरत orthopaedic श्रेणी के विशेष योग्यजन, जोकि moterised tricycle चलाने में सक्षम हैं, को नियमित अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने के लिये नि:शुल्क moterised tricycle उपलब्ध करवाये जाने की योजना लायी जाएगी। योजना के तहत आगामी वर्ष एक हजार orthopaedic श्रेणी के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

149. सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के अन्तर्गत विशेष योग्यजन युवक-युवतियों को विवाह पश्चात् सुखद जीवन व्यतीत करने हेतु वर्तमान में देय आर्थिक सहायता राशि 25 हजार रुपये प्रति दम्पत्ति को बढ़ाकर 50 हजार रुपये देने की घोषणा करती हूं।

150. राज्य में संचालित मानसिक विमंदित मूक-बधिर एवं नेत्रहीन, तीनों श्रेणियों के 97 आवासीय एवं गैर-आवासीय विद्यालयों का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से करवाया जा रहा है। इन संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के मानदेय एवं अन्य व्यय हेतु स्वीकृत राशि में वर्ष 2010 के पश्चात् कोई वृद्धि नहीं हुई है, अत: इन संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के मानदेय एवं recurring amount में वृद्धि की जाएगी।

151. संयुक्त सहायता अनुदान के तहत पात्र विशेष योग्यजनों को स्व-रोजगार हेतु आर्थिक सहायता एवं शारीरिक कमी को पूर्ण करने हेतु कृत्रिम अंग एवं उपकरण के लिये 7 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवायी जाती है। आगामी वर्ष इस राशि को बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया जाएगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

152. राज्य के SC और ST वर्ग के ऐसे मेधावी बच्चे, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रुपये से कम है, उनको निजी मेडिकल कालेज और विश्वविद्यालय में MBBS और PG का अध्ययन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने हेतु पृथक् से योजना लायी जाएगी।

153. वर्ष 2017-18 में मेहरड़ा, गुर्जरवास जिला झुन्झुनूं, केकड़ी, अजमेर, कुचामन सिटीनागौर और कोटा में आदर्श छात्रावास देवनारायण योजना के तहत आवासीय विद्यालय 30 करोड़ रुपये की लागत से खोले जाएंगे।

154. वर्तमान में देखरेख एवं संरक्षण वाले बालकों के लिये पृथक् से भवन नहीं होने के कारण इन्हें सम्प्रेषण गृह के एक भाग में पृथक् से रखा जाता है, अत: किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के लिये चरणबद्ध रूप से सभी जिलों में बाल गृह का निर्माण करवाया जाएगा और प्रथम चरण में जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर, सीकर, भीलवाड़ा, दौसा, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़ में जहां पर वर्तमान में सम्प्रेक्षण गृह में पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, पृथक से बालगृह का निर्माण करवाया जाएगा।

प्रदेश में सामाजिक समसरता के साथ छत्तीस की छत्तीस कौम का विकास हमारा सुराज संकल्प है, इसलिये -

'हरेक राह में चिराग जलाना है मेरा काम,
तेवर हवाओं का मैं देखा नहीं करती।'

155. राज्य के आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विकास हेतु आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। इस वर्ग के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये निम्न घोषणाएं करती हूं कि सामान्य वर्ग के मेधावी छात्र-छात्रा, जिनकी समस्त सोच से पारिवारिक आय 2 लाख 50 हजार रुपये वार्षिक से कम है:-

- जिन्हें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित दसवीं एवं बारहवीं की परीक्षा में प्रत्येक संवर्ग की घोषित मैरिट में प्रथम 100 छात्र-छात्राओं को एकमुश्त 15 हजार रुपये और प्रशस्ति-पत्र दिये जाएंगे।
- IIT, IIM, AIIMS, NLU, IISc में प्रवेश पाने वाले प्रथम 100 छात्र-छात्राओं को 25 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता एवं प्रशस्ति-पत्र दिये जाएंगे।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य-स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा (RAS Exam) में चयन होने के उपरान्त सभी सेवाओं को मिलाकर वरीयता क्रम में आये प्रथम 100 प्रतियोगियों को 30 हजार रुपये एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

- All India Services (IAS, IPS, IFS) में चयन होने के उपरान्त वरीयता क्रम में आने वाले राजस्थान के प्रथम 50 प्रतियोगियों को 50 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी।
- राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित परिणाम के तहत दसवीं की परीक्षा से 90 प्रतिशत से अधिक अंक आये हों, ऐसी कुल 100 छात्राओं को वरीयताक्रमानुसार स्कूटी तथा प्रशस्ति-पत्र दिये जाएंगे और इसी प्रकार से बारहवीं की ऐसी छात्राएं, जिन्हें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विज्ञान, कला एवं वाणिज्य परीक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक आये हों, वरीयताक्रमानुसार प्रत्येक संवर्ग की ऐसी-ऐसी 100-100 छात्राएं, कुल 300 को स्कूटी तथा प्रशस्ति-पत्र दिये जाएंगे।

156. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिये आगामी वर्ष में 5 हजार 596 करोड़ 80 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

महिला एवं बाल विकास:

157. वर्ष 2016-17 में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु Work performance आधारित प्रोत्साहन हेतु पृथक् से योजना बनाने की घोषणा की गयी थी। इस क्रम में योग्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को Objective मापदण्डों के आधार पर प्रति माह 250 से 500 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

158. राज्य में समेकित बाल विकास सेवाओं के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आधारभूत सुविधा जैसे टेबिल-कुर्सी, ग्रीन बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड इत्यादि उपलब्ध करवाने के लिये आगामी वर्ष में 40 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

159. वर्ष 2016-17 की बजट घोषणानुसार आगामी तीन वर्षों में राजकीय भवन में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के रख-रखाव व सुदृढ़ीकरण के कार्य 75 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जाने थे। इसी क्रम में वर्ष 2016-17 में 20 करोड़ रुपये के कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं तथा वर्ष 2017-18 में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

160. वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा के तहत "मुख्यमंत्री राजश्री योजना" एक जून, 2016 से सम्पूर्ण प्रदेश में लागू की जा चुकी है। जिसके तहत जनवरी, 2017 तक संस्थागत प्रसव से जन्मी 3 लाख 57 हजार से अधिक बालिकाओं के अभिभावकों को प्रथम किश्त 89 करोड़ 25 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। आगामी वर्ष में इस योजना के तहत समस्त भुगतान भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से करवाया जाएगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

161. राज्य में हिंसा अथवा उत्पीड़न की शिकायत, महिलाओं को सहायता उपलब्ध करवाने हेतु वर्तमान में जयपुर में अपराजिता: one stop crisis management centre for women का संचालन राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर में किया जा रहा है। जहां 30 अगस्त, 2013 से जनवरी, 2017 तक दर्ज 2,231 प्रकरणों में से 2,075 महिलाओं को सहायता उपलब्ध करायी गयी है। इस केन्द्र पर महिलाओं को चिकित्सा, विधिक, पुलिस परामर्श तथा Psychological सहायता उपलब्ध करवायी जाती है। अब राज्य के करौली, जालौर, चित्तौड़गढ़, टोंक, भीलवाड़ा, बारां, बीकानेर, झुन्झुनूं, राजसमंद, पाली, जैसलमेर, धौलपुर, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़ जिले में भी ऐसे centre स्थापित किये जाएंगे।

162. लिंग आधारित भेदभाव एवं महिलाओं के प्रति हिंसा न करने तथा कम्युनिटी एक्शन ग्रुप के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता लाने की दृष्टि से बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जालौर, झालावाड़, नागौर, प्रतापगढ़ एवं बूंदी में चिराली योजना लागू की जाएगी।

163. महिला एवं बाल विकास विभाग के लिये 1 हजार 904 करोड़ 51 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जोकि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 17.06 प्रतिशत अधिक है।

आपको यह जानकर खुशी होगी कि राजस्थान प्रदेश को भारत सरकार द्वारा इस वर्ष का नारी शक्ति पुरस्कार 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजनान्तर्गत राज्य में गत वर्ष चाइल्ड सैक्स रेशो तथा सैक्स रेशो एट बर्थ में उल्लेखनीय सुधार के फलस्वरूप आज ही नई दिल्ली में उनको पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है।

जनजाति विकास:

164. हमारी सरकार सबजन विकास-सबजन उत्थान की मूल मंत्र कार्य कर रही है तथा अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिये प्रतिबद्ध है। आगामी वर्ष में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कारवाड़ा, वस्सी खास जिला डूंगरपुर, छोटी सरवन, गांगड़तलाई जिला बांसवाड़ा में वाणिज्य संकाय खोले जाएंगे। साथ ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंदेसमा पंचायत समिति सायरा जिला उदयपुर में विज्ञान संकाय खोला जाएगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

165. प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्राओं के लिये उदयपुर एवं कोटा में एक-एक बहूद्देशीय छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, जिसका संचालन व्यय वर्तमान में छात्राओं द्वारा वहन किया जा रहा है। आगामी वर्ष से इन दोनों छात्रावास तथा बारां में निर्माणाधीन छात्रावास के संचालन का पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

166. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित 30 छात्रावास ऐसे हैं जिनकी दूरी विद्यालय से दो किलोमीटर से अधिक है। इनमें आवासरत कक्षा 6 से 12 तक के छात्र-छात्राओं को सुगम आवागमन सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से साइकिल छात्रावास प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध करवायी जाएगी।

167. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में कक्षा 10 व 12 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की Tribal Research Institute तथा अन्य चयनित agencies के माध्यम से कैरियर काउंसलिंग करवायी जाएगी।

168. आवासीय विद्यालयों में प्रवेश की मांग को ध्यान में रखते हुए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय निवाई-टोंक, दानवाव, (आबूरोड) सिरोही एवं सीमलवाड़ा- डूंगरपुर की क्षमता को 350 से बढ़ाकर 480 किया जाएगा।

169. आगामी वर्ष में डूंगरपुर में निर्मित दो तथा बांसवाड़ा में निर्मित एक कालेज छात्रावास भवन में 50-50 छात्राओं की क्षमता वाले कॉलेज छात्रावास का संचालन प्रारम्भ किया जाएगा।

170. विभाग द्वारा संचालित खेल छात्रावासों की सफलता को देखते हुए तीरंदाजी अकादमी, उदयपुर, बालिका खेल छात्रावास, प्रतापगढ़ एवं आबूरोड़-सिरोही, बालक खेल छात्रावास प्रतापगढ़ एवं डूंगरपुर में छात्र-छात्राओं की क्षमता 50 से बढ़ा कर 75 की जाएगी।

171. जनजाति क्षेत्र में संचालित जिला बांसवाड़ा के 23, डूंगरपुर के 25, उदयपुर के 11 एवं प्रतापगढ़ के 15 विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है। इन विद्यालयों में 44 करोड़ 79 लाख रुपये की लागत से अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, प्रयोगशाला तथा अन्य आधारभूत आवश्यक सुविधाओं का निर्माण करवाया जाएगा।

172. जनजाति क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु बांसवाड़ा में 11 एवं प्रतापगढ़ जिले में 8 नवीन एनिकटों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार तथा डूंगरपुर जिले की 3, प्रतापगढ़ जिले की 2 तथा उदयपुर जिले की एक नहर का विस्तार एवं जीर्णोद्धार करवाया जाएगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

173. वर्ष 2015-16 में डूंगरपुर जिले में सौर ऊर्जा के माध्यम से लिफ्ट योजना का सफल क्रियान्वयन किया गया है। बांसवाड़ा एवं उदयपुर की 5-5, डूंगरपुर की 8, प्रतापगढ़ की 14 पुरानी एवं बांसवाड़ा की 6 नवीन सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति सौर ऊर्जा के माध्यम से 10 करोड़ 14 लाख रुपये की लागत से की जाएगी।

174. अनुसूचित क्षेत्र के महत्वपूर्ण विभागों में Tribal Area Service Rules के तहत लगभग 5 हजार 200 कार्मिकों का पदस्थापन किया गया है।

175. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के लिए आगामी वर्ष में 596 करोड़ 82 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

अल्पसंख्यक:

176. श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में निम्न कार्य करवाये जायेंगे:-

- गुरूद्वारा बूढाजोहड़, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर में स्थित झील का पर्यटन स्थल के रूप में सौंदर्यकरण एवं पेनोरमा निर्माण करवाया जाएगा।

- गुरूद्वारा श्री चरणकमल साहिब, नारायणा में सन् 1707 में श्री गोबिन्द सिंह जी के नारायणा स्थित दादू धाम, दूदू में प्रवास करने की याद में यहां श्री गुरू गोबिन्द सिंह जी के पेनोरमा का निर्माण करवाया जाएगा।

177. गत वर्ष माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में आधारभूत संरचना के निर्माण एवं विकास हेतु मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना लागू की गयी थी। अब उसी तर्ज पर मैं मदरसा जन-सहभागिता योजना लागू करने की घोषणा करती हूं, जिसमें मदरसों में आधारभूत संरचना के निर्माण एवं विकास हेतु 40 प्रतिशत राशि जन-सहयोग से प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा 60 प्रतिशत राशि उपलब्ध करवायी जाएगी।

खेल एवं युवा मामले:

178. वर्तमान में राज्य में 14 खेल अकादमियां (8 बालक एवं 6 बालिका) संचालित की जा रही हैं, जिनमें 252 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन अकादमियों में खिलाड़ियों ने राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ ही अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी पदक प्राप्त कर राज्य व राष्ट्र का नाम रोशन किया है। इन 14 अकादमियों के अतिरिक्त संभाग मुख्यालय कोटा में बालिका फुटबाल, भरतपुर में बालक कुश्ती और बीकानेर में साईक्लिंग अकादमी खोली जायेगी। इस पर 5 करोड़ 17 लाख रुपये का व्यय होगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

179. झुन्झुनूं में वॉलीबाल अकादमी की स्थापना की जाएगी। अकादमी के भवन निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा।

180. खेलों के प्रति रुझान बनाये रखने हेतु प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक उम्र के विशिष्ट श्रेणी के एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना प्रारम्भ की जाएगी।

181. जनजाति समुदाय की लुप्त हो रही परम्परागत लोक संस्कृति एवं कला विधाओं के संरक्षण हेतु राज्य स्तरीय खेल एवं सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव का आयोजन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला स्तर के पश्चात राज्य स्तर पर किया जाएगा।

182. जोधपुर, करौली एवं अलवर में निर्मित multi purpose indoor hall को उपयोग में लिये जाने हेतु indoor games के आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाये जाएंगे, जिन पर 4 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय होगा।

183. सवाईमानसिंह स्टेडियम जयपुर में निम्न सुविधाओं का विकास किया जाएंगा:-

- हॉकी मैदान पर नया astroturf- लागत 4 करोड़ रुपये।
- Meditation Centre का निर्माण- लागत 35 लाख रुपये।
- निर्माणाधीन training track को सिंथेटिक किया जायेगा- लागत 2 करोड़ रुपये।

184. साथ ही प्रदेश के निम्न स्टेडियमों में भी विकास कार्य करवाये जाएंगे:-

- विद्याधर नगर स्टेडियम, जयपुर में सोलर लाइटों एवं विभिन्न निर्माण कार्य- लागत एक करोड़ 5 लाख रुपये।
- चौगान स्टेडियम, जयपुर में बास्केट बॉल कोर्ट, सिविल कार्य एवं indoor hall का निर्माण कार्य- लागत एक करोड़ 25 लाख रुपये।
- उम्मेद स्टेडियम, जोधपुर में interlocking basket ball court, synthetic basket ball court का निर्माण कार्य- लागत 1 करोड़ 35 लाख रुपये।
- सूरतगढ़ स्टेडियम, श्रीगंगानगर में विकास कार्य- लागत 25 लाख रुपये।

185. राज्य सरकार खेलों में जनसहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेडियमों में ढांचागत सुधार के लिए निजी जनसहभागिता योजना लायेगी।

186. निजी क्षेत्र में sports academy स्थापित करने के लिए राज्य सरकार आगामी वर्ष में एक व्यापक नीति लायेगी।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

187. युवा मामले एवं खेल विभाग के लिए आगामी वर्ष में 106 करोड़ 8 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधन अनुमान से 24.30 प्रतिशत अधिक है।

शिक्षा:

188. 13 हजार 900 उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों को उनके समीप स्थित 11 हजार 730 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समन्वित कर माध्यमिक शिक्षा के अधीन 13 हजार 263 एकीकृत विद्यालयों की स्थापना कर कार्यरत शिक्षकों का बेहतर उपयोग तथा विद्यालयों का समुचित supervision सुनिश्चित किया गया है।

189. ग्रामीण दूर-दराज के जनजाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के सभी 13 हजार 527 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक तथा 50 हजार 983 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों का निर्धारित मानदण्डानुसार समानीकरण किया गया है।

190. शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न स्तरों पर 37 हजार शिक्षकों की भर्ती की है तथा 86 हजार शिक्षकों को पदोन्नति देने का कार्य पूरा किया है। साथ ही पदस्थापन में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक लाख से अधिक शिक्षकों का counseling के माध्यम से पदस्थापन किया गया है, जिसकी सर्वत्र सराहना हुई है।

191. राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध करवाने की नीति के फलस्वरूप गत तीन वर्षों में राजकीय विद्यालयों में कक्षा 11-12 के नामांकन में 32 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है। ASER (Annual Status of Education Report) के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का रुझान सरकारी विद्यालयों की तरफ बढ़ा है। जहां वर्ष 2012 में 53.4 प्रतिशत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे सरकारी विद्यालयों में नामांकित थे, वहीं वर्ष 2016 में बढ़ कर 56.2 प्रतिशत हो गये हैं। इसी प्रकार गत तीन वर्षों में ASER रिपोर्ट के अनुसार अंग्रेजी, गणित तथा हिन्दी में सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत् प्राथमिक स्तर के बच्चों में Learning levels में भी वृद्धि हुई है।

192. राज्य सरकार ने राजकीय विद्यालयों में पढ़ाई के साथ-साथ खेलों पर भी समुचित ध्यान दिया है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय अन्तर विद्यालय खेलकूद

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

प्रतियोगिता में राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में 17 से 19 आयु वर्ग के छात्रों द्वारा अर्जित पदकों में वृद्धि हो कर 39 हो गई, जिनमें 13 स्वर्ण पदक हैं जबकि वर्ष 2012-13 में कुल पदक संख्या 20 थी, जिसमें स्वर्ण पदक मात्र तीन थे।

193. प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हेतु 5 हजार राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है। वर्ष 2015-16 में नई ग्राम पंचायतों के गठन के फलस्वरूप राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या 9 हजार 894 हो गई है। ऐसी ग्राम पंचायतों, जहां निजी अथवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं, में phased manner में चयनित विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने के निर्णय के तहत वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में 240 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में तथा 46 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है। वर्ष 2017-18 में 105 ग्राम पंचायतों में वर्तमान में संचालित कक्षा 10 में 40 से अधिक नामांकन वाले एक-एक राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा।

194. वर्तमान में 772 ग्राम पंचायतों में निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, परन्तु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं हैं। ऐसी ग्राम पंचायतों में संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालय जहां कक्षा 10 में 40 से अधिक नामांकन हैं, उनको सत्र 2017-18 से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा।

195. गत वर्ष कक्षा 10 में 100 से अधिक नामांकन वाले कला संकाय वाले 152 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान या वाणिज्य संकाय प्रारम्भ किये गये थे। वर्ष 2016-17 में नामांकन वृद्धि के फलस्वरूप कक्षा 10 में कला संकाय वाले 112 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 100 से अधिक नामांकन हो गया है। अत: मैं घोषणा करती हूं कि सत्र 2017-18 से बांसवाड़ा में 19, डूंगरपुर में 14, उदयपुर में 11, बाड़मेर, पाली, अलवर, जयपुर, बीकानेर, जालौर, प्रतापगढ़, एवं जोधपुर में 5-5, राजसमन्द में 4, दौसा एवं टोंक में 3-3, करौली, भीलवाड़ा, नागौर, अजमेर, हनुमानगढ़ एवं झालावाड़ में 2-2, सिरोही, चूरू, बूंदी, धौलपुर, कोटा एवं बारां में 1-1 विद्यालय में विज्ञान संकाय प्रारम्भ की जाएगी।

196. प्रदेश में कक्षा 10 में 120 से अधिक नामांकन वाले कला एवं वाणिज्य संकाय के 26 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। आगामी सत्र 2017-18 से उदयपुर में 4, बूंदी में 3, बीकानेर, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, प्रतापगढ़ एवं सीकर में 2-2

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

तथा अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जालौर, कोटा एवं टोंक में एक-एक विद्यालय में कला एवं वाणिज्य संकाय के साथ-साथ विज्ञान संकाय प्रारम्भ की जाएगी।

197. राज्य के पंचायत समिति मुख्यालयों पर विज्ञान संकाय के 263 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित एवं कृषि विषय की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सत्र 2017-18 के 54 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गणित, 23 में जीव विज्ञान तथा 190 में कृषि विषय खोले जाएंगे।

198. राज्य के 13 हजार 527 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से वर्तमान में 3 हजार 685 विद्यालयों में कंप्यूटर, 7 हजार 150 विद्यालयों में multi functional printer तथा 6 हजार 873 विद्यालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2017-18 में 29 करोड़ 69 लाख रुपये की लागत से इन विद्यालयों में कंप्यूटर, multi functional printer तथा इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवायी जाएगी।

199. गत 3 वर्षों में शिक्षाकर्मियों के मासिक मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई है। अत: मैं शिक्षाकर्मियों, पैराटीचर्स एवं मदरसा पैराटीचर्स के मासिक मानदेय में 1 जुलाई, 2017 से 10 प्रतिशत वृद्धि किए जाने की घोषणा करती हूं।

200. स्कूल शिक्षा में mid-day meal योजनान्तर्गत कार्यरत 1 लाख से अधिक Cook-com-Helpers हैं, मासिक मानदेय में कई वर्षों से कोई वृद्धि नहीं हुई है। अत: इनके मासिक मानदेय में 200 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की घोषणा करती हूं।

201. वर्तमान में 670 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित है, जिनमें 54 हजार विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। इस पाठ्यक्रम की सफलता को देखते हुए वर्ष 2017-18 में 50 अतिरिक्त विद्यालयों में भी व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की जाएगी।

202. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में 74 करोड़ रुपए की लागत से 133 विद्यालयों में 746 अतिरिक्त class rooms, पुस्तकालय कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, पेयजल सुविधा, शौचालय निर्माण के कार्य करवाये जाएंगे। साथ ही, 114 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से 58 नवीन विद्यालय भवन एवं 1 हजार 3 विद्यालयों में 1 हजार 334 class rooms का निर्माण करवाया जाएगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

203. वर्ष 2014-15 से अब तक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 12 की कुल 4 लाख 37 हजार बालिकाओं को self defense का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आगामी वर्ष में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 3 लाख 60 हजार ऐसी बालिकाओं को self defense का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

204. प्रदेश में वर्तमान में हमारी सरकार कक्षा 12 से गणित व विज्ञान विषयों पर आधारित राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित करवाती है। आगामी वर्ष से कला एवं वाणिज्य संकाय में अध्ययनरत मेधावी बच्चों के लिए भी पृथक् से प्रतिभा खोज करवा चिह्नित उत्कृष्ट बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा।

उच्च शिक्षा

205. गत 3 वर्षों में 28 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं तथा 5 राजकीय महाविद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है। इस वर्ष जन-प्रतिनिधियों की मांग एवं क्षेत्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिला मुख्यालय राजसमंद, उपखण्ड मुख्यालय बाप-जोधपुर, कुम्भलगढ़-राजसमंद, लसाड़िया-उदयपुर, बेगूं-चित्तौड़गढ़, अंता-बारां, बनेड़ा-भीलवाड़ा में राजकीय सह शिक्षा महाविद्यालय तथा चूरू में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोला जाएगा।

206. साथ ही, प्रदेश के निम्न राजकीय महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किया जाएगा:-

- राजकीय महाविद्यालय, गोविन्दगढ़-अलवर
- मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय, कुशलगढ़-बांसवाड़ा
- हाड़ा रानी राजकीय महाविद्यालय, सलूम्बर-उदयपुर
- राजकीय महाविद्यालय, मेड़ता सिटी-नागौर
- राजकीय महाविद्यालय, भवानीमंडी-झालावाड़
- सेठ एन.एम.टी. राजकीय महाविद्यालय, झुंझुनूं
- राजकीय कन्या महाविद्यालय, सवाई माधोपुर

207. निम्न राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय प्रारंभ किए जाएंगे:-

- राजकीय महाविद्यालय, आबू रोड़-सिरोही, अर्थशास्त्र
- राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झालावाड़ में समाज शास्त्र, EAFM, Business Administration
- के.सी. देवी लोहिया राजकीय कन्या महाविद्यालय, रतनगढ़ में हिन्दी

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

208. निम्न राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन विषय प्रारंभ किए जाएंगे:-

- राजकीय महाविद्यालय, कोटा में भूगर्भ शास्त्र
- राजकीय महाविद्यालय, बूंदी में समाज शास्त्र एवं लोक प्रशासन
- मां जलपा देवी राजकीय महाविद्यालय, तारानगर-चूरू में अंग्रेजी साहित्य
- राजकीय महाविद्यालय, सांगोद-कोटा में लोक प्रशासन
- राजकीय महाविद्यालय ओसियां-जोधपुर में समाज शास्त्र
- राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर में भूगर्भ शास्त्र
- राजकीय कन्या महाविद्यालय, बारां में उर्दू
- राजकीय महिला महाविद्यालय, चौमूं-जयपुर में संस्कृत एवं अर्थशास्त्र
- राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर में नृत्य एवं तबला

209. निम्न राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय प्रारंभ किये जाएंगे:-

- राजकीय महाविद्यालय, हिण्डौन सिटी-करौली
- राजकीय महाविद्यालय, भोपालगढ़-जोधपुर
- राजकीय महाविद्यालय, लूणकरणसर-बीकानेर
- राजकीय कन्या महाविद्यालय, तारानगर-चूरू
- राजकीय महाविद्यालय, जायल-नागौर

210. वर्ष 2014-15 की बजट घोषणा के अनुसार राजकीय कला महाविद्यालय दौसा, सीकर, कोटा, चिमनपुरा, वाणिज्य महाविद्यालय, सीकर, अलवर, कन्या कला कोटा, कन्या वाणिज्य कोटा का, पुराने महाविद्यालयों से पुनर्गठन के पश्चात, नवीन राजकीय महाविद्यालयों के रूप में प्रारंभ किया गया है। इन महाविद्यालयों के लिए 48 करोड़ रुपए की लागत से भवन निर्माण करवाया जाएगा।

211. 7 संभागीय मुख्यालयों पर चयनित राजकीय महाविद्यालयों में Smart Science labs की स्थापना की जाएगी। जिसके प्रमुख features में 3D animated modules, virtual reality, video feeds इत्यादि होंगे, इन पर 2 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय होगा।

212. राज्य के 10 राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों हेतु Crowd-sourced Social Platform for Education की स्थापना की जाएगी, जिसके अंतर्गत शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को ई-प्लेटफार्म पर आपस में अध्ययन के विभिन्न पहलुओं पर जोड़ा जाएगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

213. राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर, गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर, एवं महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के भवन निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

214. उच्च शिक्षा के लिए आगामी वर्ष में 1 हजार 399 करोड़ 42 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 11.01 प्रतिशत अधिक है।

तकनीकी शिक्षा

215. Society Act के अंतर्गत वर्तमान में 8 Engineering College संचालित किए जा रहे हैं। वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार द्वारा इनको ढांचागत सुविधाओं हेतु 3 करोड़ 25 लाख रुपये की राशि प्रदान की गयी है। आगामी वर्ष में इस राशि को दुगने से भी अधिक कर 7 करोड़ 10 लाख रुपये किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त करौली और धौलपुर में खोले गये नए Engineering College को भी आगामी वर्ष में 1-1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। साथ ही, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत बारां के Engineering College के लिए 26 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गयी है।

216. राजकीय Engineering College भरतपुर को बालिका छात्रावास एवं academic ब्लॉक के निर्माण हेतु वर्ष 2017-18 में 6 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा।

217. वर्तमान में राज्य के 8 पॉलिटेक्निक संस्थानों-बीकानेर, जयपुर, अजमेर, अलवर, कोटा, जोधपुर, भरतपुर तथा महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, उदयपुर में Industry Institute Interaction Cell (III Cell) कार्यरत हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप बढ़ते रोजगार अवसरों व पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि होने के कारण, नए महाविद्यालय में III Cell की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आगामी 2 वर्ष में, शेष 34 महाविद्यालयों में III Cell की स्थापना की जाएगी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

218. स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार ने देश में सर्वाधिक 1 हजार 715 बीमारियों को शामिल करने वाली भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत प्रदेश की 67 प्रतिशत आबादी को 3 लाख रुपये तक की वित्तीय सीमा तक नि:शुल्क उपचार

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना से प्रदेश के 494 राजकीय एवं 633 निजी चिकित्सालयों को जोड़ा गया है तथा योजनान्तर्गत अब तक 300 करोड़ रुपये की चिकित्सा सुविधा सुलभ करवायी जा चुकी है।

219. गत वर्ष 100 dental chair with x-ray machine उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। आगामी वर्ष में भी राज्य के 50 चिकित्सा संस्थानों में 50 dental chair with x-ray machine उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करती हूं। इस पर 2 करोड़ 50 लाख रुपए का व्यय होगा।

220. जिला चिकित्सालय धौलपुर का वर्तमान भवन काफी छोटा होने के कारण मरीजों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है एवं ग्रामीणों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अत: नवीन चिकित्सालय भवन एवं क्वार्टर्स का निर्माण 100 करोड़ रुपए की लागत से करवाये जाने की घोषणा करती हूं।

221. वर्ष 2015-16 में 7 जिला चिकित्सालयों में blood component separation unit की घोषणा की गयी थी, जो कि आम जन हेतु काफी लाभदायक रही है। आगामी वर्ष में राज्य के 7 जिला चिकित्सालयों- ब्यावर, अलवर, बूंदी, चित्तौड़गढ, धौलपुर, श्रीगंगानगर तथा झुंझुनूं में स्थापित blood banks को blood component separation unit में क्रमोन्नत किया जाएगा। वर्ष 2017-18 में भवन निर्माण हेतु 3 करोड़ 50 लाख रुपए और उपकरण हेतु 5 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

222. राज्य में आम जन की मांग तथा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार एवं विस्तार को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017-18 में निम्न चिकित्सा संस्थान क्रमोन्नत किए जाएंगे:-

- उप-स्वास्थ्य केन्द्र कुण्डेल, पंचायत समिति सिवाना, जिला- बाड़मेर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में।
- उप-स्वास्थ्य केन्द्र चछलाव-झालावाड़ को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नोगांवा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोबारिकपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनाऊ-बाडमेर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छतरगढ़-बीकानेर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालू गांव-लूणकरणसर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गांधीबड़ी, भादरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में।

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झालरापाटन-झालावाड़ को satellite hospital में।

223. राज्य में आम जन की मांग तथा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार एवं विस्तार को ध्यान में रखते हुए 2017-18 में निम्न नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाएंगे:-

- जघीना-भरतपुर

- दौलतावाली-पीलीबंगा-हनुमानगढ़

- सोयला और बिराई पंचायत समिति पीपाड़- जोधपुर

224. साथ ही, निम्न चिकित्सा संस्थानों की शय्याओं में बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा करती हूं:-

- एम.जी. चिकित्सालय, बांसवाड़ा को 300 से 350

- जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ़ को 150 से 200

- राजकीय चिकित्सालय, कुचामन सिटी-नागौर को 100 से 150

- सेटेलाइट चिकित्सालय, शाहपुरा-भीलवाड़ा को 50 से 75

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रावतसर-हनुमानगढ़ को 50 से 75

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिड़ावा-झुन्झुनूं को 30 से 50

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तारानगर-चूरू को 30 से 50

225. बिलाड़ा जिला जोधपुर में trauma centre की स्थापना की जाएगी।

226. प्रदेश में महिलाओं में breast cancer के incidence बढ़ रहे हैं। प्रथम चरण में आगामी वर्ष 300 या इससे अधिक शय्याओं वाले 14 जिला चिकित्सालयों में महिलाओं की screening जांच एवं समुचित इलाज करवाने हेतु कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाने की घोषणा करती हूं। इस हेतु आगामी वर्ष में 3 करोड़ 36 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

227. जिला चिकित्सालय, करौली में IPD भवन निर्माण 4 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से करवाया जाएगा।

228. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए आगामी वर्ष में 6 हजार 315 करोड़ 38 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 8.21 प्रतिशत अधिक है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

चिकित्सा शिक्षा:

229. सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में heart transplant हेतु 20 करोड़ रुपये जिसमें civil works के लिए 2 करोड़ रुपये तथा 18 करोड़ रुपये उपकरण हेतु उपलब्ध करवाए जाएंगे।

230. पश्चिमी राजस्थान के जिलों को trauma related चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए एकमात्र trauma facility राजकीय डा. एस. एन. मेडिकल कालेज एवं संलग्न चिकित्सालय संस्थान जोधपुर में उपलब्ध है। इन क्षेत्रों में कहीं भी आकस्मिक दुर्घटना होने पर शीघ्र इलाज हेतु मथुरादास माथुर अस्पताल रैफर किया जाता है। अत: ट्रोमा अस्पताल का निर्माण करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूं।

231. चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर में वर्तमान में स्थापित cathlab आईसीयू में लगी मशीन की समयावधि पूर्ण हो चुकी है। अत: 10 करोड़ रुपये की लागत से cathlab मशीन की स्थापना की जाएगी।

232. मेडिकल कालेज परिसर, कोटा के द्वितीय तल का निर्माण 29 करोड़ 39 लाख रुपये की लागत से करवाया जाएगा जिससे एमबीएस चिकित्सालय के ENT, नेत्र एवं अन्य विभागों की इंडोर यूनिट यहां संचालित हो सकेगी।

233. वर्तमान में मेडिकल कालेज, कोटा में kidney transplant की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अत: हाड़ौती एवं आसपास के मरीजों को kidney transplant की सुविधा 8 करोड़ रुपये की लागत से उपलब्ध करवाई जाएगी।

234. कोटा एवं जोधपुर मेडिकल महाविद्यालय में silicosis के उपचार हेतु पृथक् से एक-एक wing स्थापित की जाएगी।

235. आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज, जयपुर, RNT मेडिकल कालेज, उदयपुर तथा झालावाड़ मेडिकल कालेज में virtual training aids तथा simulators पर आधारित मेडिकल शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक कॉलेज में skill labs स्थापित की जाएंगी।

236. Rajasthan University of Health Science (RUHS) में एक अत्याधुनिक paraplegic treatment wing स्थापित की जाएगी।

237. चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए आगामी वर्ष में 2 हजार 574 करोड़ 86 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 33.40 प्रतिशत अधिक है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आयुर्वेद:

238. वर्ष 2017-18 में जयपुर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ एवं राजसमन्द में क्षार सूत्र शल्य चिकित्सा इकाई प्रारम्भ की जाएगी।

239. 2 नए पंच कर्म केन्द्र, जिला मुख्यालय, धौलपुर तथा प्रताप नगर, जयपुर में संचालित आयुर्वेद चिकित्सालय में खोले जाएंगे। साथ ही, 2 नए आँचल प्रसूता केन्द्र जिला मुख्यालय जैसलमेर व बाड़मेर में संचालित आयुर्वेद चिकित्सालयों में खोले जाएंगे।

240. डा. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर में रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, शरीर रचना, शरीर क्रिया, कौमार भृत्य, अगद तंत्र एवं स्वस्थ वृत्त विभागों में 6-6 सीटों पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाएंगे।

241. राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर में तीन स्नातक विभागों को स्नातकोत्तर विभागों में क्रमोन्नत किया जाएगा।

242. वर्तमान में 31 जिला मुख्यालयों पर आयुर्वेद चिकित्सालय संचालित हैं जिनमें से 18 जिला आयुर्वेद चिकित्सालय घोषित हैं। शेष 13 जिलों में संचालित आयुर्वेद चिकित्सालयों को भी जिला आयुर्वेद चिकित्सालय का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही, जिला मुख्यालय, हनुमानगढ़ तथा टोंक में नवीन जिला आयुर्वेद चिकित्सालय खोले जाएंगे।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले:

243. राज्य सरकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए अपना commitment दिखाते हुए राज्य की 24 हजार 741 उचित मूल्य की दुकानों पर PoS मशीनों की स्थापना कर bio-metric प्रणाली से राशन सामग्री का वितरण प्रारम्भ किया गया है तथा PoS मशीनों द्वारा माह अप्रैल, 2016 से फरवरी, 2017 तक कुल 12 करोड़ 52 लाख से अधिक transaction किए गए। PDS के तहत वितरित की जाने वाली समस्त राशन सामग्री का वितरण bio-metric सत्यापन के आधार पर करना अनिवार्य किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के computerisation हेतु वर्ष 2017-18 में 18 करोड़ 51 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय खाद्य योजना के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 2017-18 में 397 करोड़ 91 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

244. भामाशाह प्लेटफार्म के अंतर्गत e-PDS योजना से PoS का उपयोग करते हुए सही लाभार्थियों को उनके हक का पूरा राशन मिल रहा है। इस कार्य को और आगे बढ़ाते हुए थोक विक्रेता एवं परिवहन सहित संपूर्ण राशन वितरण प्रणाली का IT enablement किया जाएगा।

कौशल राजस्थान एवं रोजगार

कौशल, नियोजन और उद्यमिता:

245. प्रदेश में भवन एवं संनिर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु 1 जनवरी, 2016 से लागू की गई 'भामाशाह निर्माण श्रमिक कल्याण योजना' के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में अब तक मंडल द्वारा 177 करोड़ रुपये का व्यय कर 46 हजार 224 हिताधिकारियों को लाभान्वित किया गया है। पंजीयन एवं योजनाओं में स्वीकृत व्यवस्था को पूर्ण रूप से online कर इस वित्तीय वर्ष में अब तक के सर्वाधिक 5 लाख 20 हजार से अधिक भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगारों का पंजीयन किया गया है। आगामी वर्ष में मंडल द्वारा श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं को और अधिक सशक्त और व्यापक रूप से क्रियान्वित किया जाएगा।

246. "सशक्त युवा, सशक्त राजस्थान" की भावना से हमने युवाओं के कौशल प्रशिक्षण एवं उनके नियोजन पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया है। हमारा सारा प्रयास इस बात पर केन्द्रित है कि युवा अपने पैरों पर खड़े हो सकें। कहा गया है कि:

"Give a man a fish and you feed him for a day,
teach a man to fish and you feed him for a lifetime."

247. राज्य के कौशल प्रशिक्षण को नई दिशा देकर National Skill Qualification Framework (NSQF) आधारित उच्चतर कौशल प्रशिक्षण को उच्च शिक्षा के मुख्य स्रोत के साथ समन्वित कर, कौशल प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए, देश के प्रथम राजकीय कौशल विश्वविद्यालय, 'राजस्थान आईएलडी स्किल्स यूनिवर्सिटी' (RISU) की जामडोली, जयपुर में स्थापना की जा रही है। यह विश्वविद्यालय Industrial Financial Corporation of India के सहयोग से उन्हीं के संस्थान Institute for Leadership Development के campus में संचालित होगा। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के नियोजक उद्योगों एवं संस्थानों की भागीदारी के साथ, RISU के द्वारा कौशल प्रशिक्षण में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी।

248. इसी प्रकार, उच्चतर कौशल में युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर के उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुलभ कराने के लिए निजी क्षेत्र में 'भारतीय स्किल डवलपमेंट यूनिवर्सिटी' की स्थापना लगभग अंतिम चरण में है। पूरे देश में कौशल विकास में swiss

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

model के तहत अत्याधुनिक उपकरणों एवं curriculum के जरिये नवीन कौशल को युवाओं तक पहुंचाने के लिए एक अग्रणी संस्थान के रूप में उभरने की पूर्ण संभावना है।

249. प्रदेश के 33 जिलों में 302 कौशल विकास केन्द्रों पर कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा RSLDC के माध्यम से अब तक 1 लाख 75 हजार से भी अधिक युवाओं को विभिन्न trades में प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिससे कि उन्हें रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो सकें।

250. प्रदेश में 138 राजकीय एवं 1 हजार 653 निजी ITI संचालित हैं, जिनकी क्षमता 3 लाख 28 हजार युवाओं को प्रशिक्षित करने की है। वर्ष 2014-15 के बजट में हमने प्रदेश की सभी पंचायत समितियों में ITI खोलने की घोषणा की थी। जिला बाड़मेर की पंचायत समिति गीड़ा, पाटौदी, कल्याणपुर, धनाउ, सेडवा व गडरा रोड़, जिला उदयपुर की पंचायत समिति सायरा, फलासिया, झलारा व सेमारी, जिला जोधपुर की पंचायत समिति सेखाला, देंचू व बापिनी, जिला राजसमन्द की पंचायत समिति कुंभलगढ़ व रेलमगरा, जिला अलवर की पंचायत समिति बहरोड़, जिला बांसवाड़ा की पंचायत समिति गागड़तलाई एवं जिला डूंगरपुर की पंचायत समिति साबला में वर्ष 2017-18 में लगभग 162 करोड़ रुपये की लागत से नवीन राजकीय ITI प्रारम्भ की जाएगी।

251. गत वर्ष में खोली गयी 69 ITI में मशीनरी और उपकरण उपलब्ध कराने हेतु 146 करोड़ 19 लाख रुपये का व्यय किया जाएगा।

252. राजकीय कारागृह ITI जयपुर में आगामी सत्र से 2 नए ट्रेड Electrician एवं Computer Operator and Programming Assistant (COPA) खोले जाएंगे।

253. राजकीय ITI धौलपुर, झालावाड़ और राजसमंद में Mechanic Motor Vehicle Trade खोला जाएगा।

254. सिंगापुर सरकार के सहयोग से उदयपुर में Centre of Excellence for Tourism Training ट्रेनिंग की स्थापना की गयी है। राज्य में युवाओं के कौशल विकास हेतु उत्तम सुविधाएं विकसित करने की दिशा में जापान सरकार के सहयोग से अलवर में स्थापित Japanese Zone के समीप नीमराणा में "Japan India Manufacturing Institute" की स्थापना की जाएगी।

255. RSLDC के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, ITI, Polytechnic, रोजगार मेला, स्वरोजगार योजना, उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से इस दिशा में कारगर कदम उठाए गए हैं। आदिनांक तक 1 लाख 6 हजार से अधिक को विभिन्न राजकीय

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

विभागों एवं सरकारी उपक्रमों में विगत तीन वर्षों में भर्तियां प्रदान की गयी हैं। इसके अलावा आगामी दो वर्षों में लगभग 1 लाख 50 हजार की भर्ती राजकीय विभाग एवं उपक्रमों में होना संभावित है। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, रोजगार मेला, ई-मित्र, RIPS के तहत रोजगार सृजन और Army Rallies के माध्यम से 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए गये। इस प्रकार अब तक राज्य में 11 लाख से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित किए गये हैं।

256. बेरोजगार युवकों को अक्षत योजना के तहत दी जा रही सहायता राशि में पिछले कुछ समय से वृद्धि नहीं हुई है। अब मैं इस योजना के अंतर्गत पात्र बेरोजगार युवकों के लिए वर्तमान में देय 500 रुपये की राशि को बढ़ाकर 650 रुपये, युवतियों को 750 रुपये तथा विशेष योग्यजन को 750 रुपये प्रतिमाह दिये जाने की घोषणा करती हूं।

257. श्रम और रोजगार विभाग के लिए आगामी वर्ष में 1 हजार 7 करोड़ 44 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 21.32 प्रतिशत अधिक है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी:

258. राजकीय मॉडल विद्यालयों में STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए प्रथम चरण में 71 विद्यालयों में start-up boot clubs स्थापित किये जाएंगे।

259. नवीन ग्रामीण Technology एवं Biotechnology क्षेत्र में नवाचार एवं रोजगार सृजन करने की दृष्टि से राज्य में Biotechnology and Rural Technology Business Incubation Centre स्थापित किये जाएंगे। जिस पर 5 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

स्थानीय स्व-शासन

शहरी विकास:

260. राजस्थान में शहरी क्षेत्र के विकास के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। प्रदेश के शहरी क्षेत्र के विकास हेतु आगामी दो वर्षों में लगभग 9 हजार 500 करोड़ रुपये की राशि व्यय हेतु उपलब्ध रहेगी। इसके अंतर्गत smart city अमृत, स्वच्छ भारत मिशन, RUIDP दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन इत्यादि सम्मिलित हैं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

261. प्रदेश के 29 शहर अमृत योजना के तहत चयनित हैं। इस योजना के तहत 3 हजार 223 करोड़ 94 लाख रुपये के 95 प्रोजेक्ट चिह्नित किये गये हैं। जिसके तहत जलापूर्ति, sewerage and septage management, storm water drainage, शहरी परिवहन एवं हरित क्षेत्र तथा पार्कों के कार्य करवाये जा रहे हैं।

262. प्रदेश के 4 शहर- जयपुर, उदयपुर, कोटा एवं अजमेर का भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी योजना के तहत चयन किया गया है। इस कार्य के संपादन के लिए अलग से स्मार्ट सिटी कंपनीज का गठन किया गया है। आगामी वर्ष में इस योजना पर 640 करोड़ रुपये का व्यय होना अनुमानित है।

263. राज्य के शहरी क्षेत्र के नागरिकों को रियायती दर पर गुणवत्तायुक्त पौष्टिक नाश्ता एवं भोजन उपलब्ध करवाने हेतु अन्नपूर्णा रसोई योजना 15 दिसंबर, 2016 से प्रारंभ की गयी है। वर्तमान में यह योजना जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, झालावाड़-झालरापाटन, प्रतापगढ़, बारां, डूंगरपुर व बाँसवाड़ा में प्रारंभ की गयी है। जिसके तहत वर्तमान में mobile vans के माध्यम से प्रतिदिन 17 हजार व्यक्तियों को नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं रात्रि का भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। आगामी वर्ष में इस योजना को राज्य की सभी नगरीय निकायों में प्रारंभ किया जायेगा।

264. मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (शहरी) राज्य सरकार की एक महात्वाकांक्षी एवं जनोपयोगी योजना है, जिसके अंतर्गत rooftop water harvesting structures का निर्माण, बावड़ियों का पुनरुद्धार तथा urban forestry के कार्य 66 शहरों में किये जायेंगे। योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2017-18 में 15 करोड़ 71 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

265. राज्य की 179 नगरीय निकायों में गौरव पथ का निर्माण करवाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत वर्ष 2016-17 में 89 करोड़ 27 लाख रुपये तथा वर्ष 2017-18 में 357 करोड़ रुपये की लागत से गौरव पथ निर्माण के कार्य हाथ में लिये जाएंगे।

266. आगामी वर्ष में राज्य के सभी 190 शहरों में 625 स्थानों पर wi-fi सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। यह सुविधा सभी निकाय कार्यालयों सहित उन शहरों के प्रमुख पर्यटन स्थलों, बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशन आदि पर उपलब्ध करवाई जाएगी।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज:

267. ग्रामीण जनता को राहत पहुंचाने की दृष्टि से प्रदेश में 14 अक्टूबर, 2016 से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनकल्याण पंचायत शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अब तक प्रदेश के सभी जिलों की समस्त पंचायत समितियों की 9 हजार 593 ग्राम पंचायतों में यह शिविर आयोजित किये जा चुके हैं। इन शिविरों में 7 हजार 169 पट्टों का आवंटन तथा 20 हजार 291 व्यक्तियों के पुराने भवनों तथा कब्जे वाले भवनों का नियमितीकरण किया गया है।

268. जल संरक्षण के क्षेत्र में प्रदेश में प्रारंभ किया गया मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान एक जन आंदोलन बनकर उभरा है। "मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान" का प्रथम चरण, जो कि जनवरी 2016 को 3 हजार 529 गांवों में प्रारंभ किया गया था, उसमें 95 हजार से अधिक कार्य पूर्ण किये गये तथा उसके परिणाम बेहद उत्साहवर्धक रहे हैं। प्रथम चरण की अभूतपूर्व सफलता से प्रेरित होकर राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का द्वितीय चरण भी 4 हजार 217 गांवों में दिसम्बर, 2016 से प्रारंभ किया गया है।

269. ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक जल स्रोतों में महात्मा गांधी नरेगा योजना से जल संरक्षण structure का निर्माण किया जायेगा तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अन्य योजनाओं के convergence से ग्रामीण महिलाओं के लिए सामुदायिक महिला स्नानागार का निर्माण किया जाएगा।

270. ग्रामीण क्षेत्र में जनोपयोगी विकास कार्यों हेतु चलायी जा रही गुरु गोलवलकर जन-भागीदारी विकास योजना में जिलों से अधिक राशि की मांग की जा रही है। गत तीन वर्षों में अब तक 2 हजार 393 कार्य पूर्ण किये गये हैं। अत: इस योजना में प्रावधान को बढ़ाते हुए 125 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

271. स्वच्छता की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में 2 हजार 784 ग्राम पंचायतों को ODF घोषित किया है, जो कि वर्ष 2014-15 में 447 तथा 2015-16 में एक हजार 348 की तुलना में अधिक है।

272. हमारी सरकार की मंशा है कि गांवों को भी समग्र रूप से आधुनिक सुविधाएं यथा-परंपरागत एवं सौर ऊर्जा से street lighting, E- पुस्तकालय व knowledge centre कचरा प्रबंधन wi-fi network उद्यान एवं खेल मैदान का विकास, चारागाह विकास इत्यादि कार्य करते हुए Smart Village के रूप में विभागों की विभिन्न योजनाओं में

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

उपलब्ध वित्तीय एवं अन्य संसाधनों से convergence करके विकसित किया जाये। आगामी वर्ष में 5 हजार से अधिक की आबादी वाले गांवों को Smart Village के रूप में विकसित किया जाएगा।

डिजिटल राजस्थान एवं सुशासन

आयोजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी :

273. राज्य में महिला सशक्तीकरण के साथ-साथ, आमजन को विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ पारदर्शी रूप से प्रदान करने के लिए हमने 15 अगस्त, 2014 से भामाशाह योजना को पुन: major रूप से लागू किया है। प्रारंभिक क्रियान्वयन में आयी कठिनाइयों का समाधान करते हुए भामाशाह platform के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नरेगा भुगतान, छात्रवृत्ति, राजश्री योजना, जननी सुरक्षा योजना, पालनहार योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना तथा राशन वितरण आदि को जोड़ा जा चुका है। साथ ही, चरणबद्ध रूप से अन्य योजनाओं को भी भामाशाह योजना से जोड़ा जा रहा है।

274. प्रदेश में banking and digital payment की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राजस्थान payment platform का निर्माण कर समस्त e-payment gateway, credit card, debit card, Ru-Pay card एवं mobile wallet को भी जोड़ा गया है। साथ ही, bio-metric आधारित भुगतान की भी व्यवस्था की गयी है। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 23 हजार 500 से अधिक ई-मित्र micro ATM स्थापित किये गये हैं, जो कि देश में सर्वाधिक हैं।

275. प्रदेशवासियों को e-Governance और good governance देने की दिशा में ई-मित्र एक अभूतपूर्व कदम साबित हुआ है। राज्य में ई-मित्र service delivery केन्द्र ग्राम पंचायत स्तर तक सभी अटल सेवा केन्द्रों पर भी उपलब्ध हैं। अब इस सुविधा को और बेहतर बनाते हुए सभी अटल सेवा केन्द्रों पर ई-मित्र service ATM स्थापित किये जाएंगे। जहां कोई भी व्यक्ति सरकारी सेवा, सूचना तथा आवश्यकता के अनुसार दस्तावेजों के प्रिंट ले सकेगा।

276. सरकारी कार्यालयों की क्षमता बढ़ाने, कार्यों में पारदर्शिता के साथ गति प्रदान करने हेतु राज e-office के तहत leave sanction, APAR, inventory and meeting management जैसी सुविधाएं 5 विभागों में प्रारंभ की गयी हैं। दस प्रमुख

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

विभागों में शीघ्र ही यह सुविधा लागू कर दी जाएगी। आगामी वर्ष में सभी प्रमुख विभागों में file tracking system भी लागू किया जाएगा।

277. विभिन्न online सुविधाएं देने हेतु जिला मुख्यालयों के कार्यालयों को fibre के माध्यम से connect कर दिया गया है। आगामी वर्ष से सभी ब्लॉक मुख्यालय एवं नगर निकाय मुख्यालय को fibre से connect किया जाएगा।

278. अटल सेवा केन्द्रों पर युवाओं को internet की सुविधा देने के लिए चरणबद्ध रूप से wi-fi सुविधा प्रारंभ की जाएगी। इसके अलावा समस्त राजकीय महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, राजकीय विश्वविद्यालय, स्किल ट्रेनिंग सेंटर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ITI पोलिटेक्निक तथा राजकीय कार्यालयों में चरणबद्ध रूप से wi-fi की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करती हूं।

279. गत वर्ष हमने 2 लाख प्रदेशवासियों को IT training देने की घोषणा की थी। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष हमने लगभग 7 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया है। आगामी वर्ष में 8 लाख लोगों को IT training दी जाएगी।

280. गत वर्ष हमने नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु सभी संभागीय मुख्यालयों पर IT enabled एकीकृत Command and Control Centres स्थापित करने की घोषणा की थी। संभागीय मुख्यालयों पर लगाये गये इस infrastructure का समुचित उपयोग करते हुए आगामी वर्ष सभी जिलों को भी Command and Control Centres से जोड़ते हुए जिला मुख्यालयों एवं संवेदनशील क्षेत्रों की CCTV कैमरों से निगरानी, समस्त आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों का संचालन एवं नागरिक हैल्पलाइन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

281. हमारा प्रयास है कि आमजन को चिकित्सा सेवाओं को लाभ बेहतरीन तरीके से और आसानी से अपने नजदीकी अस्पताल एवं डिस्पेंसरी में ही प्राप्त हो सके। इसके लिए मैं राज्यव्यापी integrated IT enabled health project की घोषणा करती हूं। इसके माध्यम से telemedicine की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

282. खनन से संबंधित समस्त कार्यों को दक्षतापूर्वक एवं पारदर्शी रूप से संपादित करने के लिए आगामी वर्ष integrated online system को develop किया जायेगा, जिसमें लीज देने, रवन्ना जारी करने से लेकर अवैध माइनिंग तक के सभी कार्य IT एवं GIS के माध्यम से किये जाएंगे।

(13.00 बजे)

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

283. डिजिटल राजस्थान का सपना साकार होने के साथ यह भी आवश्यक है कि राज्य में cyber security पर समुचित ध्यान दिया जाए। हमने IT security policy का IT एवं ITES policy में समावेश करते हुए राज्य के data centre एवं नेटवर्क को पूर्ण रूप से सुरक्षित किया है। इस वर्ष जयपुर में cyber forensic cell प्रारम्भ कर दी गई है, आगामी वर्ष शेष 6 सम्भागीय मुख्यालयों पर cyber forensic cell प्रारम्भ किए जाएंगे।

राजस्व एवं सैनिक कल्याण :

284. न्याय आपके द्वार अभियान के तहत राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से गत 2 वर्षों में 69 लाख 89 हजार प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। इस अभियान के दौरान प्रदेश की 523 ग्राम पंचायतों को वादमुक्त किया गया है। राज्य सरकार द्वारा आम रास्तों के विवादों को विशेष प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2016-17 में 19 हजार 838 प्रकरणों का निष्पादन किया गया। अभियान के तहत स्थानीय ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व प्रकरणों का मौके पर ही त्वरित निस्तारण की सुविधा प्रदान कर प्रदेश की ग्रामीण जनता को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी कारण राज्य सरकार ने आगामी वर्ष में भी न्याय आपके द्वार अभियान जारी रखने का निर्णय लिया है।

285. वर्ष 2017-18 में 289 उपखण्ड कार्यालयों के आधुनिकीकरण हेतु 29 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

286. वर्तमान में निर्माणाधीन उप-तहसील, तहसील तथा उपखण्ड कार्यालयों एवं आवास निर्माण हेतु वर्ष 2017-18 में 125 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

287. राज्य में राजस्व प्रशासन के कार्यालयों के वाहन नाकारा घोषित होने पर नये वाहन उपलब्ध कराने हेतु 8 करोड़ 33 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

288. भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण, राजस्व नक्शों का digitisation, digitised नक्शों का जमाबन्दी से integration, आधुनिक रिकार्ड रूम की स्थापना तथा setellite पद्धति से survey के कार्य के लिए तकनीकी रूप से सुदृढ़ किए जाने के लिए भू-प्रबन्ध विभाग का पुनर्गठन किया जाएगा।

289. सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को अस्थाई आवासीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में स्थापित 30 सैनिक विश्राम गृहों के सौन्दर्यकरण, रख-रखाव तथा मरम्मत आदि के कार्य आगामी वर्ष में करवाये जाएंगे।

290. Rajasthan Ex-Serviceman Corporation के माध्यम से विभागों में संविदा के आधार पर नियोजित भूतपूर्व सैनिकों की वर्तमान पारिश्रमिक दरें वर्ष 2013 में

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

संशोधित की गई थीं। वर्तमान पारिश्रमिक दरों में अप्रैल, 2017 से 10 प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा करती हूं। इससे भूतपूर्व सैनिकों के पारिश्रमिक में 800 रुपये प्रतिमाह से एक हजार 600 रुपये प्रतिमाह तक की वृद्धि होगी।

गृह:

291. सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के तत्वावधान में Forensic Science के Wing की स्थापना की जाएगी।

292. ग्राम मोरवानिया, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर में 500 प्रशिक्षण क्षमता के नवीन पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की जाएगी।

293. आगामी वर्ष कांस्टेबल के रिक्त पदों के विरुद्ध पुलिस विभाग में 5 हजार 500 कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी।

294. वर्ष 2017-18 में 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, 10 उप-पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा 20 पुलिस थाना भवनों का निर्माण 50 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जाएगा।

295. इसी प्रकार 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आवास, 15 उप-पुलिस अधीक्षक आवास का 12 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जाएगा।

296. राज्य के केन्द्रीय कारागृहों एवं जिला कारागृहों में CCTV स्थापित किए जा चुके हैं। आगामी वर्ष में 30 उप-कारागृहों में 4 करोड़ रुपये की लागत से CCTV स्थापित किए जाएंगे।

297. जिला कारागृह, डूंगरपुर और उप-कारागृह, अकलेरा-झालावाड़ के नवीन भवन निर्माण हेतु 28 करोड़ 81 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, विभिन्न कारागृहों में बंदी बैरक, चारदीवारी एवं शौचालय आदि के निर्माण हेतु 16 करोड़ 62 लाख रुपये का प्रावधान किया जाएगा।

298. गृह विभाग के लिए आगामी वर्ष में 5 हजार 653 करोड़ 69 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 11.83 प्रतिशत अधिक है।

विधि एवं न्याय:

299. प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की दृष्टि से गत तीन वर्षों में 14 अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय, 6 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दो विशिष्ट न्यायालय (महिला उत्पीड़न प्रकरण), 6 सिविल न्यायाधीश एवं

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, 25 विशिष्ट न्यायालय (N.I. Act प्रकरण) एवं 4 पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए गये हैं एवं 19 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय क्रमोन्नत किए गये हैं। आगामी वर्ष में निम्न न्यायालय खोलने की घोषणा करती हूं:-

- पोकरण जिला जैसलमेर, कोटपूतली जिला जयपुर एवं बारां में एक-एक अपर जिला एवं सैशन न्यायालय।
- भुसावर जिला भरतपुर, भीनमाल, सांचौर जिला जालौर एवं सपोटरा जिला करौली में एक-एक सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट।
- जयपुर में POSCO Act के तहत एक विशिष्ट न्यायालय।
- करौली, सिरोही, बाड़मेर, धौलपुर, जालौर, जैसलमेर, प्रतापगढ़ में पारिवारिक न्यायालय।
- प्रतापगढ़ तथा करौली में एक-एक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण।

सूचना एवं जन सम्पर्क:

300. वर्तमान में राजस्थान के अधिस्वीकृत पत्रकारों हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु 2 हजार 500 रुपये निर्धारित है जिसे बढ़ाकर 5 हजार रुपये प्रतिवर्ष प्रति पत्रकार दिये जाने की मैं घोषणा करती हूं।

301. राजस्थान के अधिस्वीकृत पत्रकारों हेतु वर्तमान में 2 लाख, 5 लाख और 10 लाख रुपये की मेडिक्लेम पॉलिसी योजना लागू है। वर्ष 2017-18 से मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी की सुविधा को cashless किया जाएगा तथा अधिस्वीकृत पत्रकारों से कोई प्रीमियम राशि नहीं ली जाएगी।

302. पिंकसिटी प्रेस क्लब, जयपुर सभागार के जीर्णोद्धार का कार्य 30 लाख रुपये की लागत से करवाया जाएगा।

सहायता एवं नागरिक सुरक्षा:

303. प्रदेश में वर्तमान में 18 नागरिक सुरक्षा जिले एवं 10 नागरिक सुरक्षा टाउन घोषित हैं जिसमें से केवल 10 जिले एवं 3 नागरिक सुरक्षा टाउन क्रियाशील हैं। आपदा बचाव कार्यों में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की महत्ती भूमिका को देखते हुए राज्य के समस्त जिलों को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित कर, क्रियाशील किया जाएगा, जिस पर 6 करोड़ 14 लाख रुपये का वित्तीय भार आएगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

304. प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ अन्य आपदाएँ आने पर जान-माल की हानि से बचाने हेतु नागरिक सुरक्षा विभाग का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। विभाग की mobility बढ़ाने एवं आपात स्थिति से निपटने के लिए वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे।

वित्तीय प्रबन्धन:

305. वर्तमान में समस्त राजकीय लेन-देन Integrated Financial Management System (IFMS) के माध्यम से ऑनलाइन संपादित किए जा रहे हैं। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स, सरकारी कार्यों हेतु भुगतान एवं सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को e-mode से भुगतान किया जा रहा है जिसकी सूचना sms व mobile app के माध्यम से भी दी जा रही है। इन सुविधाओं का विस्तार करते हुए राज्य कर्मचारियों द्वारा अपने यात्रा व चिकित्सा बिल के online प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था को सिस्टम से जोड़ा जाएगा। साथ ही, राज्य सिविल पेंशनर्स के मेडिकल पुनर्भरण दावों के online प्रस्तुतीकरण एवं दावों के e-payment की व्यवस्था की जाएगी।

306. भामाशाह प्रणाली के तहत IFMS के माध्यम से राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा public deposit accounts से संचालित की जाने वाली योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लाभ हस्तान्तरण e-payment प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा जिससे लाभार्थियों तक पहुंचने वाले benefits पर प्रभावी नियंत्रण तथा पारदर्शिता रखी जा सके।

307. गत वर्ष निर्माण विभागों के लेन-देन को IFMS के माध्यम से कोषालयों से associate किया गया है। इसे आगे बढ़ाते हुए लेन-देन से सम्बन्धित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां, कार्यादेश, G-schedules, measurement book आदि को भी प्रभावी नियंत्रण के साथ चरणबद्ध रूप से online system से व बिल तैयार करने की प्रक्रिया से भी जोड़ा जाएगा।

308. वर्तमान में राज्य के राजस्व जमा की online सुविधा 43 बैंकों के माध्यम से net banking, debit card एवं credit card के जरिये उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी क्रम में manual receipts को भी e-mode पर लाया जाएगा जिससे जमाकर्ताओं द्वारा उनकी approach में आने वाली एजेंसी बैंक की राजस्थान में स्थित किसी भी शाखा में नकद, demand draft अथवा banker cheque से राजस्व जमा करवाया जा सकेगा।

309. तहसील मुख्यालयों पर स्वतंत्र उप-कोष की आवश्यकता को देखते हुए तहसील धौरीमन्ना, सिठाधरी, सेडवा-बाड़मेर, आनन्दपुरी, सज्जनगढ़-बांसवाड़ा, जसवंतपुरा, चीतलवाना- जालौर, अराई- अजमेर, भोपालसागर- जोधपुर, मासलपुर- करौली एवं किशनगढ़-रेनवाल-जयपुर में नवीन उप-कोषों की स्थापना की जाएगी।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

310. साथ ही पुष्कर-अजमेर, रामसर, शिव-बाड़मेर, उदयपुरवाटी-झुन्झुनूं, औसियां-जोधपुर, फतेहगढ़-जैसलमेर, जहाजपुर-भीलवाड़ा, कपासन-चित्तौड़गढ़, झालरा पाटन-झालावाड़, बसवा-दौसा, सांगोद-कोटा, सपोटरा-करौली, सायला-जालौर, संगरिया-हनुमानगढ़, सैपऊ-धौलपुर, बीदासर-चूरू एवं किशनगंज-बारां में नवीन उप-कोष भवनों का निर्माण 8 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से करवाया जाएगा।

कर्मचारी कल्याण:

311. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में राज्य कर्मचारी को देय लाभ हेतु गठित राज्य स्तरीय कमेटी ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इस सम्बन्ध में कमेटी की सिफारिशें प्राप्त होने पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

312. हमने सुराज संकल्प में 50 वर्ष से अधिक आयु के राजकीय कर्मचारियों के वार्षिक स्वास्थ्य जांच का प्रावधान किए जाने की घोषणा की थी। वर्तमान में 50 वर्ष से अधिक आयु के राजपत्रित अधिकारियों के लिए 3 वर्ष में एक बार स्वास्थ्य जांच का प्रावधान किया हुआ है। आगामी वर्ष से 50 वर्ष से अधिक आयु के अराजपत्रित कर्मचारियों को भी 3 वर्ष में एक बार नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान की जाएगी।

313. सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, आयुर्वेद विभाग के ऐसे कार्य प्रभारित कर्मचारी जो अन्य पद पर नियुक्त हैं और वर्तमान में स्टोरमुंशी के पद पर कार्य कर रहे हैं उनकी मांग है कि उन्हें स्टोरमुंशी के पद पर नियुक्त किया जावे। उनके लिए पृथक से सेवा नियम बनाए जाकर पात्रता अनुसार स्क्रीनिंग उपरांत स्टोरमुंशी के पद पर पदस्थापित किया जाएगा।...

314. सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, आयुर्वेद विभाग में कार्यरत ऐसे कार्य प्रभारित कर्मचारी, जोकि 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान अथवा ACP (Assured Career Progression) ले रहे हैं, उनकी लम्बे समय से पदनाम परिवर्तन की मांग को ध्यान में रखते हुए पृथक् से सेवा नियम बनाये जाकर केवल नये पदनाम दिये जाएंगे।

कर प्रस्ताव

315. अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से अब मैं कर प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूं। (व्यवधान)

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

316. यह कर प्रस्ताव भारत सरकार के वित्त मंत्री महोदय की इस घोषणा को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किये जा रहे हैं कि देश में शीघ्र ही अप्रत्यक्ष करों हेतु नवीन कर व्यवस्था Goods & Service Tax (GST) लागू की जानी संभावित है।

317. अध्यक्ष महोदय, संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम लागू किया जा चुका है जिसके परिणामस्वरूप राज्य में लगने वाले VAT, Entry Tax, Luxury Tax and Entertainment Tax के स्थान पर एकीकृत कर प्रणाली Goods & Service Tax (GST) लागू किया जाना प्रस्तावित है। मैं सदन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि GST के क्रियान्वयन हेतु संविधान संशोधन विधेयक पर सदन द्वारा अपनी सहमति दी गयी है।

318. GST को लागू करने हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। मैं सदन को याद दिलाना चाहती हूं कि हमने वर्ष 2006 में सभी के सहयोग से राज्य में सफलतापूर्वक VAT लागू किया था।

319. हमने वर्ष 2014-15 के बजट में माननीय उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में GST Consultation Committee गठित किये जाने की घोषणा की थी। इस समिति द्वारा उद्योग तथा व्यापार जगत से GST लागू करने के संबंध में विचार-विमर्श किया जा रहा है तथा उनके सुझावों को GST Council के समक्ष रखा जा रहा है।

320. वाणिज्यिक कर विभाग ने GST की तैयारियों के क्रम में आमजन एवं Stakeholders को जागरूक करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक कर विभाग और उद्योग विभाग के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए District Level Consultation Committees का भी गठन किया है, जिसके अन्तर्गत जिला स्तर पर Stakeholders के साथ Workshops का आयोजन किया गया है।

321. मुझे सदन को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि राजस्थान राज्य के लगभग 80 प्रतिशत पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा GST Migration हेतु Primary Enrolment करा लिया गया है। राज्य के सभी अधिकारियों को GST के प्रस्तावित कानून संबंधी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। राज्य के 75 अधिकारियों को IT Master Trainer के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, जो Goods & Service Tax Network (GSTN) के संबंध में अधिकारियों तथा Stakeholders को प्रशिक्षण देंगे।

322. राज्य में GST लागू करते समय Dealers को आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए संभाग तथा जिला स्तर पर GST help-desk, जयपुर में Centralized Call Centre तथा GST Simulation Centre स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

323. GST व्यवस्था में राज्य सरकार को services पर करारोपण का अधिकार प्राप्त होगा जिससे राज्य का Tax base बढ़ने के साथ-साथ कार्य प्रणाली में IT का Role भी बढ़ेगा। GST व्यवस्था में Model GST Law के अन्तर्गत अधिकारियों के पदनाम में भी परिवर्तन प्रस्तावित है। GST के शीघ्र लागू होने की दिशा में वाणिज्यिक कर विभाग के Cadre का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है।

GST लागू करने के क्रम में प्रक्रिया संबंधी सुधार व कदम:

324. GST लागू होने से पूर्व, VAT, Entry Tax, Luxury Tax and Entertainment Tax अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 तथा आगामी वर्षों के कर निर्धारणों के शीघ्र निष्पादन के लिए Deemed Assessment Scheme लाया जाना प्रस्तावित है।

325. वैट अधिनियम के तहत सर्राफा, Gems & Stone, Petroleum Retail Outlet and Tent Dealers आदि के लिए Composition Schemes जारी की गई हैं। कई व्यवहारी इन Composition Schemes का विकल्प लेने के पश्चात् कुछ शर्तों की यथासमय पालना नहीं करने के कारण, इन योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर सके हैं। प्रस्तावित GST के लागू होने के परिप्रेक्ष्य में ऐसे व्यवहारियों को राहत दिया जाना प्रस्तावित है।

VAT व CST नियमों में संशोधन:

326. Tax Advisory Committee की बैठक में प्राप्त सुझावों तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त ज्ञापनों पर विचार करते हुए व्यवहारियों की कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से VAT, CST, Entry Tax and Entertainment Tax अधिनियमों के अधीन बनाये गये नियमों में आवश्यक संशोधन व कुछ नवीन अधिसूचनाएं जारी किया जाना प्रस्तावित हैं।

327. वर्तमान में वैट नियमों के अन्तर्गत Appellate Authority के समक्ष online अपील प्रस्तुत करने के प्रावधान हैं। किन्हीं कारणों से व्यवहारी पूर्व में online अपील प्रस्तुत नहीं कर सके। ऐसे व्यवहारियों द्वारा पूर्व में प्रचलित प्रावधानों के अनुरूप अपील प्रस्तुत करने पर उसे मान्यता दिये जाने के साथ ही, अपील आवेदन के acknowledgement की copy तथा चालान आदि दस्तावेजों की hard coply Appellate Authority के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

328. वर्तमान में VAT और CST Rules के अन्तर्गत घोषणा-पत्र online generate किये जाने के प्रावधान हैं। ऐसे घोषणा-पत्रों को generate करते समय उनमें अंकित की जाने वाली सूचना में त्रुटि होने पर ऐसे त्रुटिपूर्ण घोषणा-पत्रों को निरस्त किये जाने हेतु

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

वर्तमान में अधिकतम एक वर्ष की अवधि में आवेदन किया जा सकता है। कई बार घोषणा-पत्रों में त्रुटि एक वर्ष के पश्चात् भी जानकारी में आती है। अत: इस व्यावहारिक समस्या को देखते हुए इस अवधि को दो वर्ष किया जाना प्रस्तावित है।

वर्क्स कांट्रेक्ट संबंधी संशोधन:

329. वर्तमान में Contractors जिन्होंने works contract के अन्तर्गत exemption certificate प्राप्त किया हुआ है, को अतिरिक्त कार्य/भुगतान मिलने पर exemption certificate में संशोधन करने हेतु 60 दिवस में आवेदन करना होता है। व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण कई बार इसमें विलम्ब हो जाता है। ऐसे मामलों में राहत देने के लिए प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

330. Awarder को Form VAT-40E online submit किये जाने के प्रावधान वर्ष 2015-16 से लागू किये गये हैं। प्रथम वर्ष होने के कारण कई awarders से इन forms को submit करते समय त्रुटि हो गई है। वर्तमान में forms जिसमें त्रुटि हो गई हैं, को संशोधित करने हेतु तीन माह का समय उपलब्ध है। अत: ऐसे awarders की समस्याओं के निराकरण के लिए 2015-16 के लिए Form VAT-40E में संशोधन किये जाने हेतु समयावधि 31.03.2017 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

331. Contractors के लिए TDS का प्रमाण-पत्र Form VAT-40E के आधार पर सिस्टम से स्वत: जनरेट होता है। इस कारण से Form VAT-40E में संशोधन करने पर TDS प्रमाण-पत्र भी संशोधित हो जाता है जिसके कारण व्यवहारियों को return भी संशोधित करना होता है। अत: return के Form VAT-11 को संशोधित करने की समय सीमा दिनांक 15.04.2017 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

प्रवेश कर:

332. यार्न पर दो प्रतिशत की दर से Entry Tax दिनांक 08.03.2016 से लागू है। राज्य के व्यवहारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यार्न को exclusively job work के लिए राज्य में लाये जाने पर Entry Tax में दिनांक 08.03.2016 से ही छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम:

333. GST के प्रस्तावित Model Law के प्रावधानों से समानता रखने तथा राज्य के छोटे manufacturers जो सामान्यत: सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की श्रेणी में आते हैं, को

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 50 लाख रुपये तक के turnover वाले manufacturers के लिए composition का विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है। ऐसे व्यवहारियों के लिए turnover पर कर की दर दो प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

334. नागौर में निर्मित handmade tool न केवल राष्ट्रीय बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। गत वर्ष इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम 80 रुपये बिक्री मूल्य तक के कुछ श्रेणी के hand tools को दिनांक 01.04.2016 से कर मुक्त किया था। Combination plier भी एक ऐसा ही hand tool है। अत: 80 रुपये तक के combination plier को दिनांक 01.04.2016 से कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

335. राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को CST Act के अन्तर्गत रियायती कर दर का लाभ अधिसूचित किया गया है। एक ही मालिक द्वारा ऐसे भिन्न-भिन्न उद्यमों की स्थापना पर किये गये निवेश को club किये जाने के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं होने से व्यवहारियों को रियायती कर दर का लाभ प्राप्त करने में कठिनाइयां आ रही हैं। इस समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से उक्त अधिसूचना में स्पष्टीकरण जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

336. Incentive Scheme, 1987 के अन्तर्गत लाभ लेने वाली यूनिट्स को योजना के अन्तर्गत लाभ लेने के उपरान्त आगामी पाँच वर्षों तक औसत उत्पादन करना अनिवार्य था। व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण कुछ यूनिट्स इस शर्त का पालन नहीं कर सकी। जिसके कारण CST Act के अन्तर्गत ऐसी इकाइयों के विरुद्ध मांग कायम की गई है। वर्तमान में ऐसी अधिकांश यूनिट्स बंद हो चुकी हैं। ऐसी बंद हो चुकी यूनिट्स या BIFR के अधीन सिक घोषित हो चुकी यूनिट्स जिनके द्वारा औद्योगिक प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनार्थ भूमि का बेचान नहीं किया हो, को कर में रिबेट दिया जाना प्रस्तावित है।

मनोरंजन कर:

337. वर्तमान में Internet Service Providers के माध्यम से cinema tickets बुक करवाने पर ऐसे Internet Service Providers द्वारा online booking सेवाओं के लिए राशि वसूल की जाती है, जिस पर Entertainment Tax देय है। इस राशि पर देय Entertainment Tax को दिनांक 01.08.2014 से मुक्ति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

विद्युत शुल्क:

338. जयपुर शहर में local transport की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु Metro Rail का संचालन किया जा रहा है। यात्रियों को Metro Rail सेवा कम शुल्क पर निरन्तर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से Jaipur Metro Rail Corporation द्वारा Metro Rail सेवाओं के संचालन व रख-रखाव से संबंधित कार्यों में प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा पर देय electricity duty, water conservation cess तथा urban cess से छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

पर्यटन:

339. राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि राज्य के विभिन्न शहरों के लिए पर्यटकों को सस्ती हवाई सेवा उपलब्ध हो। इस हेतु भारत सरकार की Regional Connectivity Scheme (RCS) के अन्तर्गत राज्य में चलने वाली RCS flights के लिए ATF की sale पर कर की दर 1 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

औद्योगिक निवेश हेतु प्रोत्साहन:

340. राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए Rajasthan Investment Promotion Scheme - 2014 के अन्तर्गत Tax based incentives दिये जा रहे हैं। GST लागू होने पर कर व्यवस्था में परिवर्तन होने से प्रोत्साहन लाभ भी प्रभावित होंगे। इस संबंध में उद्योग तथा व्यापार जगत की आशंकाओं के निराकरण हेतु राज्य सरकार के स्तर पर एक समिति गठित की गयी है जो GST के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों में औद्योगिक निवेश हेतु प्रोत्साहन व्यवस्था का अध्ययन करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

341. सरसों राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद है। राज्य में तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा मिले तथा काश्तकारों को उनकी उपज का उचित मूल्य राज्य में ही प्राप्त हो सके इस हेतु राज्य में तेल उत्पादक इकाइयों में अधिकाधिक निवेश की आवश्यकता है। Oil Mills की कुछ श्रेणियों को RIPS-2014 के अन्तर्गत प्रोत्साहन लाभ उपलब्ध नहीं है। इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सभी श्रेणी की Oil Mills को RIPS-2014 के अन्तर्गत लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।

342. RIPS-2014 के अन्तर्गत backward area और most backward area में लगने वाले उद्यमों को अतिरिक्त लाभ दिये गये हैं। राज्य के ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में निवेश तथा रोजगार सृजन के अवसरों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से RIPS-2014 के लागू होने की तारीख से निम्नानुसार अतिरिक्त लाभ दिया जाना प्रस्तावित है:-

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

- भू-रूपान्तरण शुल्क की छूट 50 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत।
- उद्यम में नियुक्त कार्मिक जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, के संबंध में employment generation subsidy की सीमा सामान्य श्रेणी के कार्मिक के लिए 25 हजार से बढ़ा कर 35 हजार रुपये तथा महिला/SC/ST/विशेष योग्यजन श्रेणी के कार्मिक की दशा में 30 हजार से बढ़ा कर 40 हजार रुपये।
- Additional investment subsidy को पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा अति पिछड़े क्षेत्रों में 20 प्रतिशत से बढ़ा कर 35 प्रतिशत।

343. जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया है GST शीघ्र लागू होना संभावित है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इन कर प्रस्तावों में cigarettee पर VAT को छोड़ कर VAT, CST, Entry Tax, Luxury Tax and Entertainment Tax अधिनियमों में कोई भी नया कर लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है। सभी प्रकार की Cigarettes पर VAT की वर्तमान दर में 15 प्रतिशत की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

Amnesty Schemes :

344. हमारा प्रयास रहा है कि GST लागू होने से पूर्व VAT, Entry Tax आदि में बकाया मांग का अधिकाधिक निस्तारण किया जावे जिसके लिए हमने वर्तमान वित्तीय वर्ष में कई कदम उठाये हैं जिसमें Late Fee Waiver Scheme, New Amnesty Scheme-2016 व Amnesty Scheme for Entry Tax-2017 प्रमुख हैं।

345. इन schemes के अंतर्गत लगभग 37,000 व्यवहारियों ने लाभ प्राप्त किया है। उद्योग तथा व्यापार संघों द्वारा ऐसी schemes को लागू रखने की मांग की गयी है। अत: VAT, Entry Tax तथा Motor Vehicle Entry Tax की बकाया मांग के लिए Amnesty Schemes जारी किया जाना प्रस्तावित है।

346. इसके साथ ही Luxury Tax Act तथा Entertainment Tax Act के तहत Amnesty का लाभ दिया जा सके इस हेतु इन अधिनियमों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग:

347. गत वर्ष ancestral property के विभाजन के दस्तावेजों पर stamp duty की दरों को तर्कसंगत किया गया। अब ancestral property से भिन्न संपत्ति के विभाजन पर भी stamp duty की वर्तमान दर को 5 प्रतिशत से घटा कर 3 प्रतिशत तथा registration fees की दर को 1 प्रतिशत से घटा कर 0.25 प्रतिशत तथा अधिकतम 10,000/- रुपये किया जाना प्रस्तावित करती हूं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

348. परिवार के सदस्यों द्वारा एक दूसरों के पक्ष में ancestral property की release deed करने पर stamp duty में रियायत प्राप्त है। stamp duty में प्रदत्त उक्त रियायत का लाभ बुआ तथा भतीजे द्वारा निष्पादित release deed के दस्तावेजों पर भी दिया जाना प्रस्तावित करती हूं।

349. संपत्ति बेचान की प्रक्रिया में पक्षकारों द्वारा निष्पादित agreement to sale तथा power of attorney के दस्तावेजों पर आम जनता को stamp duty तथा registration fees में राहत प्रदान करते हुए इन दस्तावेजों पर देय stamp duty क्रमश: 3 व 2 प्रतिशत को घटा कर 0.5 प्रतिशत तथा registration fees 1 प्रतिशत से घटा कर 0.25 प्रतिशत तथा अधिकतम 10 हजार रुपये किये जाने की घोषणा करती हूं।

350. Rent deed के दस्तावेजों पर stamp duty की गणना के प्रावधानों को सरल करते हुए stamp duty की दरें तर्कसंगत किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही बीस साल तक की rent deed पर registration fees को 1 प्रतिशत से घटा कर stamp duty की राशि का 20 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

351. EWS तथा LIG श्रेणी के व्यक्तियों को प्राथमिकता से आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन आवास योजना - 2015 के तहत Urban Local Bodies के साथ-साथ private developers द्वारा पात्र EWS तथा LIG को सीधे आबंटित आवासीय यूनिटों के दस्तावेजों पर भी निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने पर stamp duty में क्रमश: 60 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत रियायत प्रदान करने की घोषणा करती हूं।

352. गत बजट में loan documents without possession पर stamp duty में रियायत प्रदान करते हुए stamp duty 0.15 प्रतिशत तथा अधिकतम दस लाख रुपये निर्धारित की गयी थी। उद्योगों के विकास तथा आवासों के निर्माण हेतु सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करने के उद्देश्य से मैं इन दस्तावेजों पर stamp duty की अधिकतम सीमा को दस लाख रुपये से घटा कर पांच लाख रुपये करने की घोषणा करती हूं।

353. Family Settlement के दस्तावेजों पर registration fees को 1 प्रतिशत से घटा कर 0.25 प्रतिशत तथा अधिकतम दस हजार रुपये करने की घोषणा करती हूं।

354. वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उत्पादों के विज्ञापन हेतु निष्पादित agreement तथा शस्त्र अनुज्ञा पत्रों पर stamp duty की दर को तर्कसंगत किया जाना प्रस्तावित है।

355. गत बजट में उच्च शिक्षा के लिए Rajasthan Startup Policy, 2015 के अन्तर्गत राज्य में Startup स्थापित करने के लिए तथा MUDRA योजना के अन्तर्गत

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

non-corporate small business sector को दस लाख रुपये तक के loan दस्तावेजों तथा वरिष्ठ नागरिकों द्वारा निष्पादित reverse mortgage के दस्तावेजों पर 31 मार्च, 2017 तक stamp duty में पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा की थी। इन दस्तावेजों पर stamp duty की छूट 31 मार्च, 2018 तक बढ़ाये जाने की मैं घोषणा करती हूं।

356. The Rajasthan MSME Policy, 2015 के तहत राज्य के बीमार, सूक्ष्म और लघु औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने के प्रयोजनों के लिए ऐसी बीमार इकाइयों की अचल संपत्ति के हस्तांरण के दस्तावेजों पर stamp duty में शत प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने की घोषणा करती हूं।

357. दस्तावेज पंजीयन के समय भूलवश अधिक जमा stamp duty का refund करने तथा spoiled stamp की राशि के refund के लिए online आवेदन करने तथा उसके लिए समयावधि निर्धारित करने हेतु नियमों में आवश्यक प्रावधान किये जाने प्रस्तावित करती हूं।

358. भारत सरकार द्वारा बीमार औद्योगिक इकाइयों के ऋणों का बैंक/वित्तीय संस्थाओं से Asset Reconstruction Company के पक्ष में निष्पादित assignment document & पर stamp duty को माफ किया गया है। राज्य सरकार के स्तर से भी उक्त श्रेणी के assignment documents पर stamp duty को माफ करने संबंधी अधिसूचना जारी किया जाना प्रस्तावित है।

359. औद्योगिक तथा व्यापारिक संगठन तथा रियल एस्टेट से जुड़े संगठनों की मांग को ध्यान में रखते हुए भूमि खरीद के दस्तावेजों पर registration fee में राहत प्रदान करते हुये इसकी अधिकतम सीमा 4 लाख रुपये निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

360. Private company, Partnership firm या unlisted Public Company के Limited Liability Partnership (LLP) में conversion के सभी प्रमाण पत्रों पर पूर्व में देय stamp duty तथा registration fees की दर को कम करते हुए stamp duty 0.5 प्रतिशत तथा registration fee 1 प्रतिशत और अधिकतम 10 हजार रुपये किए जाने की घोषणा करती हूं।

361. गत वर्षों से Real Estate Industry में व्याप्त मंदी को ध्यान में रखते हुए Real Estate Industry तथा अन्य उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक भूमि के 100 वर्गमीटर से 500 वर्गमीटर तक के भूखंडों के मूल्यांकन पर 5 प्रतिशत तथा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखंडों के मूल्यांकन पर 10 प्रतिशत रियायत प्रदान करने की घोषणा करती हूं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

362. नगरीय निकायों द्वारा नियमन के पश्चात् आमजन को जारी पट्टों पर Stamp duty की रियायत को दिनांक 31.12.2017 तक बढ़ाने की घोषणा करती हूं।

363. वर्ष 2015-16 के बजट में आमजन को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 14.07.2014 तक निष्पादित मध्यवर्ती दस्तावेजों पर stamp duty में रियायत प्रदान की गयी थी। मैं दिनांक 14.07.2014 तक निष्पादित ऐसे मध्यवर्ती दस्तावेजों पर interest तथा penalty में शत-प्रतिशत छूट दिये जाने की घोषणा करती हूं।

364. आमजन को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से पुराने पंजीकृत दस्तावेजों पर बकाया stamp duty की राशि दिनांक 30.4.2017 तक जमा कराने पर interest and penalty में 100 प्रतिशत रियायत प्रदान करने की घोषणा करती हूं।

365. वर्तमान में Development of basic Infrastructure Facilities तथा गौवंश संरक्षण के लिए stamp duty पर देय सरचार्ज केवल अचल सम्पत्ति से संबंधित कुछ दस्तावेजों पर देय है। मैं सभी दस्तावेजों पर देय stamp duty पर surcharge प्रभारित किया जाना प्रस्तावित करती हूं।

366. Licensed stamp vendors को उनके द्वारा collected surcharge की राशि पर 1 प्रतिशत पारिश्रमिक देने की घोषणा करती हूं।

367.Rajasthan Stamp Act की धारा 5 में sale, settlement or mortgage के transaction को पूरा करने के लिए निष्पादित एक से अधिक दस्तावेजों में से केवल एक मुख्य दस्तावेज पर ही stamp duty देय है तथा शेष सभी दस्तावेज stamp duty से मुक्त हैं। धारा 5 में equitable mortgage को सम्मिलित करते हुए मुख्य दस्तावेज के अतिरिक्त निष्पादित अन्य प्रत्येक दस्तावेज पर 200/- रुपये stamp duty लिया जाना प्रस्तावित है।

368. आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य के 200 उप पंजीयक कार्यालयों को e-panjiyan software से जोड़ा जाना तथा 100 उप पंजीयक कार्यालयों को e-stamp व्यवस्था से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

369. अचल सम्पत्ति के दस्तावेजों के पंजीयन के समय सम्पत्ति के बाजार मूल्य का सही आकलन करने हेतु सम्पत्ति का मौका निरीक्षण राज्य के सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किये गये GPS आधारित Rajdhara app या अन्य electronic माध्यम से किये जाने के लिये नियमों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

370. Stamp vendors के नये लाइसेंस तथा उनके नवीनीकरण की आवेदन प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क के भुगतान को e-panjiyan सॉफ्टवेयर के माध्यम से online किया जाना प्रस्तावित है।

परिवहन विभाग:

371. Non-transport vehicle से transport vehicle में category change करने पर तथा इन वाहनों के अनापत्ति प्राप्त कर अन्य राज्यों में पंजीयन होने की स्थिति में राज्य में जमा one time tax के refund आवेदन की अवधि को तीन माह से बढ़ा कर 6 माह किया जाना प्रस्तावित है।

372. Non-transport vehicle पर One time tax का निर्धारण वाहन के लिये dealer द्वारा जारी invoice में दर्शायी गई कीमत के अनुसार किया जाता है। इसको अधिक तर्क संगत बनाने के मद्देनजर manufacturer या dealer द्वारा किसी प्रोत्साहन स्कीम के अधीन या अन्यथा दिये गये किसी discount, छूट या रियायत को exclude करते हुए one time tax आरोपित किया जाना प्रस्तावित है।

373. गत वर्ष 12 हजार किलोग्राम Gross Vehicle Weight तक के भार वाहन तथा 13 सीट तक बैठक क्षमता वाले private service के लिये एक मुश्त कर अनिवार्य किया गया था। इस एक मुश्त कर को एक वर्ष में 6 समान किश्तों में जमा कराने का विकल्प दिया गया है। एक मुश्त कर के दायरे को बढ़ाते हुए अब 16500 किलोग्राम Gross Vehicle Weight तक के ट्रकों और 20 सीट तक बैठक क्षमता वाले private service vehicles तथा contract carriage buses के लिये भी समान प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

374. Construction Equipment Vehicle की Non-transport category पर one time tax की दर निर्मित यानों के लिये कीमत का 6 प्रतिशत तथा chassis के रूप में क्रय वाहन पर कीमत का 7.5 प्रतिशत 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी है। अब इस श्रेणी के यानों पर निर्मित यानों के लिये कीमत का 7 प्रतिशत तथा chassis के रूप में क्रय किये गये वाहनों पर कीमत का 8.5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

375. Trade Certificate धारक vehicle manufacturers/ dealers के अधिपत्य में रखे वाहनों पर कर की सीमा two wheeler vehicles के लिये 2 हजार रुपये प्रति 100 वाहन या उसके भाग के लिये तथा three and four wheelers vehicles के लिये 4000 रुपये प्रति 50 वाहन 31.3.2000 से प्रभावी हैं। अब ऐसे two wheeler vehicles के लिये 4000 रुपये प्रति 100 वाहन या उसके भाग के

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

लिये तथा three and four wheelers vehicles के लिये 8000 रुपये प्रति 50 वाहन या उसके भाग के लिये किया जाना प्रस्तावित करती हूं।

376. Goods Vehicle तथा Construction Equipment Vehicle के परिवहन श्रेणी के यानों पर Motor Vehicle Tax की अधिकतम सीमा 25 हजार रुपये वार्षिक 04.10.2002 से प्रभावी है। अब ऐसे वाहनों पर कर की अधिकतम सीमा 35000 रुपये वार्षिक किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग:

377. उपनिवेश क्षेत्र के किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र के सभी श्रेणी के आबंटियों को कृषि भूमि आबंटन के पेटे बकाया किश्तों की राशि को 1 अप्रैल, 2017 से 30 सितम्बर, 2017 तक एक मुश्त राशि जमा कराने पर ब्याज में छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

स्थानीय निकाय/नगरीय विकास एवं आवासन विभाग:

378. आमजन को राहत देने के उद्देश्य से नगरीय निकायों/नगर विकास न्यासों/राजस्थान आवासन मण्डल/जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर विकास प्राधिकरण की तरफ बकाया lease amount एक मुश्त जमा कराये जाने पर देय ब्याज राशि में 100 प्रतिशत की छूट दिया जाना प्रस्तावित है। इस छूट का लाभ दिनांक 01.04.2017 से 30 सितम्बर, 2017 तक प्रभावी रहेगा।

379. विकास प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों/राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दिनांक 01.01.2001 से EWS/LIG के आबंटित आवासों की बकाया किश्तों की राशि आबंटियों द्वारा दिनांक 31.12.2017 तक एक मुश्त जमा करने पर interest तथा penalty में शत-प्रतिशत की छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

380. आमजन को राहत देने के उद्देश्य से नगर निकायों की तरफ बकाया Urban Development Tax जमा कराये जाने पर देय ब्याज तथा penalty की राशि में शत-प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है। इस छूट का लाभ दिनांक 01.04.2017 से 30 सितम्बर, 2017 तक प्रभावी रहेगा।

जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग:

381. घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य के दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक की जल प्रभार शुल्क के पेटे बकाया राशि एकमुश्त जमा कराये जाने पर interest तथा penalty में शत प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है। यह छूट 30 जून, 2017 तक बकाया राशि एक मुश्त जमा कराये जाने पर देय होगी।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आधारभूत संरचना का विकास:

382. दस्तावेजों के पंजीयन में आम जन की सुविधा हेतु उपमहानिरीक्षक कार्यालय भीलवाडा, बांसवाडा तथा उप पंजीयक कार्यालय कोटा-प्रथम, लूणी, जैसलमेर, उदयपुर (प्रथम तथा द्वितीय), राजसमन्द, मालपुरा, निवाई, चाकसू, शाहपुरा, सांगानेर (प्रथम तथा द्वितीय) तथा भिवाड़ी के नवीन भवनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

383. वाणिज्य कर विभाग के जयपुर स्थित संभागीय कर कार्यालय में अतिरिक्त भवन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। उदयपुर आबकारी मुख्यालय में अतिरिक्त भवन निर्माण, कोटा में EO, EPF कार्यालय, गंगानगर में DEO कार्यालय, झुंझुनूं, गंगानगर चूरू, नागौर, बारां, कोटा में AEO, EPF कार्यालय तथा नागौर और कोटपूतली में PO, EPF कार्यालय के भवनों का भी निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

384. इन कर प्रस्तावों से लगभग 40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय संभावित है तथा 200 करोड़ रुपये से अधिक की राहत दी गयी है।

385. इन कर प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में भी संशोधन प्रस्तावित है। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उद्देश्य और प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित हैं।

386. इन प्रस्तुत कर प्रस्तावों और घोषणाओं की क्रियान्विति हेतु तथा कुछ और अन्य प्रयोजनार्थ भी अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं।

संशोधित अनुमान 2016-17 एवं बजट अनुमान 2017-18:

387. मैंने वर्ष 2016-17 के बजट भाषण में सदन को अवगत कराया था कि भारत सरकार द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों के revival के लिये लागू की गई उदय योजना के तहत वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में लिये गये debt को राजकोषीय घाटे में सम्मिलित नहीं किया जाना है। उदय योजना का राज्य के वित्तीय मानकों पर होने वाले प्रभाव को दर्शाने के लिये राज्य के बजट में विभिन्न fiscal indicators को उदय योजना के प्रभाव सहित तथा उदय योजना के प्रभाव के बिना दिखाया गया है।

388. उदय योजना के प्रभाव के बिना संशोधित अनुमान वर्ष 2016-17 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

1.	राजस्व प्राप्तियां 1 लाख 16 हजार 427 करोड़ 76 लाख रुपये
2.	राजस्व व्यय 1 लाख 25 हजार 266 करोड़ 17 लाख रुपये
3.	राजस्व घाटा 8 हजार 838 करोड़ 41 लाख रुपये
4.	पूंजी खाते में प्राप्तियां 32 हजार 90 करोड़ 24 लाख रुपये
5.	पूंजी खाते में व्यय 23 हजार 240 करोड़ 51 लाख रुपये
6.	पूंजी खाते में आधिक्य 8 हजार 849 करोड़ 73 लाख रुपये

389. उदय योजना के प्रभाव को सम्मिलित करते हुए संशोधित अनुमान वर्ष 2016-17 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

1.	राजस्व प्राप्तियां 1 लाख 16 हजार 427 करोड़ 76 लाख रुपये
2.	राजस्व व्यय 1 लाख 34 हजार 266 करोड़ 17 लाख रुपये
3.	राजस्व घाटा 17 हजार 838 करोड़ 41 लाख रुपये
4.	पूंजी खाते में प्राप्तियां 54 हजार 462 करोड़ 44 लाख रुपये
5.	पूंजी खाते में व्यय 36 हजार 612 करोड़ 71 लाख रुपये
6.	पूंजी खाते में आधिक्य 17 हजार 849 करोड़ 73 लाख रुपये

390. उदय योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कुल 62 हजार 421 करोड़ 96 लाख रुपये का debt लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत DISCOMs को वर्ष 2015-16 तथा वर्ष 2016-17 में debt के रूप में जो राशि उपलब्ध करायी गयी है, उसमें से 12 हजार करोड रुपये की grant में conversion के कारण तथा उदय योजना में राज्य सरकार द्वारा लिये गये debt पर ब्याज भुगतान के कारण वर्ष 2017-18 में राजस्व घाटा होना अनुमानित है।

391. इस आधार पर आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-18 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

1.	राजस्व प्राप्तियां 1 लाख 30 हजार 162 करोड़ 7 लाख रुपये
2.	राजस्व व्यय 1 लाख 43 हजार 690 करोड़ 10 लाख रुपये
3.	राजस्व घाटा 13 हजार 528 करोड़ 3 लाख रुपये
4.	पूंजी खाते में प्राप्तियां 51 हजार 653 करोड़ 64 लाख रुपये
5.	पूंजी खाते में व्यय 38 हजार 63 करोड़ 80 लाख रुपये
6.	पूंजी खाते में आधिक्य 13 हजार 589 करोड़ 84 लाख रुपये

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

राजकोषीय घाटा:

392. वर्ष 2017-18 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा 24 हजार 753 करोड़ 53 लाख रुपये अनुमानित है, जोकि GSDP का 2.99 प्रतिशत है।

393. वर्ष 2016 में राजस्थान FRBM Act - 2005 में राजकीय प्रत्याभूतियों की सीमा निर्धारित की गयी थी। वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राजकीय प्रत्याभूतियां सीमा के अंतर्गत रहना अनुमानित है।

394. मैं वर्ष 2017-18 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख रही हूं। साथ ही, राजस्थान FRBM Act- 2005 की अपेक्षानुसार मध्यकालिक राजवित्तीय नीति विवरण, राजवित्तीय नीतियुक्त विवरण एवं प्रकटीकरण विवरण मैं सभा पटल पर रख रही हूं। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं और प्रदेश की जनता को यह बजट समर्पित करते हुए यह कहना चाहती हूं कि:-

जनता के वादे को निभाने की कोशिश की मैंने,
उसके हर हर्फ को इबादत बनाने की कोशिश की मैंने,
मेरे हाथ में जो दस्तावेज है, पुख्ता सबूत है इसका,
कि हर जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश की है मैंने'

395. इन्हीं भावनाओं के साथ मैं बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्य मंत्री, राजस्थान राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-18 का उपस्थापन करेंगी और उसे सदन की मेज पर रखेंगी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-18 का उपस्थापन करती हूं एवं इसे सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष: पुर: स्थापित किये जाने वाला विधेयक। श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री, राजस्थान वित्त विधेयक, 2017 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान वित्त विधेयक, 2017

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 09 मार्च 2017 के प्रात: 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.43 बजे गुरुवार, दिनांक 09 मार्च 2017 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)